Chapter-7

अध्याय-7

प्रयोजनमूलक साहित्य : अनुवाद के झरोखे से

7.1 प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप और अनुवाद

7.2 सरकारी अनुवाद व्यवस्था

7.3 पारिभाषिक शब्द और अनुवाद

7.4 प्रयोजनमूलक क्षेत्र और अनुवाद

7.4.1 प्रशासनिक भाषा और अनुवाद

7.4.2 विधि और अनुवाद

7.4.3 बाजार भाव की भाषा और अनुवाद

7.4.4 बैंकिंग भाषा और अनुवाद

7.4.5 पत्रकारिता और अनुवाद

7.4.6 खेलकूद की भाषा और अनुवाद

7.4.7 वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी साहित्य और अनुवाद

7.4.8 विज्ञापन की भाषा और अनुवाद

7.4.9 संसदीय साहित्य और अनुवाद

7.4.10 जनसंचार माध्यम और अनुवाद

अध्याय-7

प्रयोजनमूलक साहित्य : अनुवाद के झरोखे से...

वस्तुतः मनुष्य एक विकासशील प्राणी है । उसने अपने आदिकाल से ही अपने जीवन विकास के लिए अथक प्रयत्न किए हैं । चूँकि जब मनुष्य समाज जैसी व्यवस्था से अनभिज्ञ था, तब भी उसका जीवन-निर्वाह तो होता ही था । किन्तु मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते अपना विकास चाहता था। पशु-तुल्य जीवन जीता था । आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि के लिए उसे मानसिकता बनानी होती थी । इस मानसिकता में विचारों का प्राधान्य होता था । प्रत्येक कार्य के लिए उसे विचार आते थे । इन विचारों को अन्य तक पहुँचाने की उसकी तीव्र इच्छा ने इंगित इशारों को जन्म दिया । विचार संप्रेषित होने लगे । विचारों के इस प्रकार के आदान-प्रदान से 'समज' बनी । अच्छे, उच्च उत्कृष्ट विचारों के आदान-प्रदान से 'समाज' की रचना हुई। कहते हैं - आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उत्कृष्ट विचारों की आवश्यकता ने उच्चरित भाषा को जन्म दिया और आदि-मानव महामानव बनने की ओर अग्रसित होने लगा । समाज का ज्यों-त्यों विकास होता गया, त्यों-त्यों भाषा अपने अनेक पहलुओं को बिखेरती हुई विकसित होने लगी । इन पहलुओं की तुष्टि, पुष्टि ही भाषा का प्रयोजन था और आज भी है । विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाषा के विभिन्न पहलू विकसित हुए । भाषा के इन विभिन्न पहलुओं को भाषा का प्रयोजनमूलक रूप का दर्जा मिला ।

डॉ. राम गोपाल सिंह का मानना है कि भाषा का प्रयोग समाज में होता है लेकिन समाज के संदर्भ हमेशा एक नहीं होते ।[1] अतः मनुष्य को समाज में रहकर अपने सभी सामाजिक कार्य-कलापों, दायित्वों आदि का समुचित रूप से निर्वाह करना होता है तथा इस निर्वाह में भाषिक स्थिति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

7.1 प्रयोजनमूलक भाषा का स्वरूप और अनुवाद :

'फंक्शनल लैंग्वेज' - अंग्रेजी शब्द के पर्याय के रूप में 'प्रयोजनमूलक भाषा' हिन्दी में आज प्रचलित है । डॉ. राग गोपाल सिंह 'प्रयोजनमूलक भाषा' का अर्थ समझाते हुए लिखते हैं कि "प्रयोजनमूलक भाषा, भाषा का

---

1. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.116

वह विशेषरूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष या कार्य विशेष के संदर्भ में होता है ।"[1] विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भाषा के विभिन्न प्रयोगगत रूपों में से किसी एक मानकरूप की सत्ता उसके वास्तविक प्रयोगो से सर्वथा भिन्न होती है जो उसे भाषा के दूसरे प्रयोगगत रूप से अलगाती है । अन्य शब्दों में भाषा के किसी एक मानक रूप का प्रयोग विविध संदर्भों में नहीं किया जा सकता बल्कि प्रयोग उसके परिवर्तों का किया जाता है जो प्रयोग की दृष्टि से प्रतिबंधित होते हैं । सामान्यत: भाषा के दो पक्ष - (1) संरचनात्मक पक्ष और (2) प्रयोग पक्ष होते हैं । भाषा का संरचनात्मक पक्ष भाषा की आंतरिक संरचना से संदर्भित है । भाषा की आंतरिक संरचना ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर होती है । संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है । भाषा का प्रयोग पक्ष अर्थात समाज द्वारा प्रयुक्त भाषा । विभिन्न क्षेत्रों और संदर्भों में समाज द्वारा प्रयुक्त भाषा का रूप हमेशा एक समान नहीं होता । अर्थात् सांस्कृतिक, व्यावहारिक, न्यायिक, प्रशासनिक तकनीकी आदि क्षेत्रों में समाज द्वारा प्रयुक्त भाषा का रूप अलग-अलग होता है । डॉ. राम गोपाल सिंह के अनुसार "एक क्षेत्र विशेष की भाषा या उसके वाक्य साँचों का प्रयोग उसी रूप में उसके मानक क्षेत्र में नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके प्रयोगगत स्तर अलग-अलग होते हैं ।"[2]

एक ही व्यक्ति विभिन्न संदर्भों तथा क्षेत्रों में अपनी संबंधित भूमिका अलग-अलग रूप से निभाता है । क्षेत्रों संदर्भों की भूमिकाओं को निभाने के लिए अलग शब्दावली, ध्वनि, रूप रचना, वाक्य रचना आदि का प्रयोग करता है । विभिन्न क्षेत्रों में, संदर्भों में उसके द्वारा प्रयुक्त की गई एक ही भाषा के विभिन्न रूप प्रदर्शित होते हैं । इन्हें ही प्रयोजनमूलक भाषा की परिधि में बाँधा जा सकता है ।

डॉ. राम गोपाल सिंह का मानना है कि "हिन्दी भाषा में समय की माँग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट भाषा प्रयोगों के अनुरूप प्रयोजनमूलक की हिन्दी (संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि), व्यापारी हिन्दी (मंडियों, बाजारों, शेयरबाजारों, सट्टेबाजारों आदि की हिन्दी),

1. अनुवाद भारती : अंक 20-21, संपादक डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.3
2. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.115

कार्यालयी हिन्दी, तकनीकी हिन्दी (इंजीनियरी, उद्योग, प्रेस, फैक्टरी आदि), खेलकूद, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन की हिन्दी आदि प्रमुख हैं।"[1]

भाषा की प्रयुक्ति के आधार पर उस भाषा का प्रयोजनमूलक रूप आकार लेता है। भाषा के विभिन्न रूप-भेदों को पारिभाषित करने के लिए विभिन्न संकल्पनाएँ प्रचलित हैं जिनमें से एक संकल्पना प्रयुक्ति की संकल्पना है। अंग्रेजी के 'रजिस्टर' शब्द के हिन्दी पर्याय के रूप में हिन्दी में 'प्रयुक्ति' शब्द प्रयुक्त होता है। डॉ. राम गोपाल सिंह के अनुसार "प्रयुक्ति की संकल्पना भाषा के प्रयोगगत पक्ष अर्थात् 'प्रयोक्त' के आधार पर ही विकसित हुई है। हम प्रयोग, प्रयोक्ता एवं प्रयोक्त के संदर्भ में भाषा की विभिन्न स्थितियों, संदर्भों तथा प्रयोक्ताओं में अन्तर होने के कारण प्रयुक्त भाषा में भेद देखते हैं।"[2]

प्रयुक्ति का आधार सामाजिक पहलू पर निर्भर रहता है। मनुष्य को समाज में रहकर विभिन्न सामाजिक भूमिकाएँ निभाती होती हैं। अलग-अलग स्थिति में व्यक्ति की भाषिक भूमिका भी अलग-अलग होती है। एक डॉक्टर अपने अस्पताल में मरीज़ के साथ जो भाषा का उपयोग करता उसी भाषा का उपयोग वह बाजार में जाकर नहीं कर सकता अथवा अपने घर, रिश्तेदारों के साथ नहीं कर सकता। अर्थात एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों, संदर्भों में अलग-अलग भाषिक भूमिका निभाता है। भाषा के विभिन्न रूप प्रयुक्ति कहलाते हैं।

"हैलिडे, मैकिनतोश तथा स्ट्रीवंज़ के अनुसार - लोग भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं इसे समझने के लिए 'प्रयुक्ति' की कोटि की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रयोगगत संदर्भों में भाषा व्यवहार में भेद पाए जाते हैं। किन्हीं संदर्भों में प्रयोग में पाए जाने वाले भाषा रूप ही अलग-अलग होते है। इन्हीं प्रयोगगत भाषा रूपों को प्रयुक्ति कहा जाता है।"[3]

"विभिन्न विषयों या क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा को संबंधित विषय या क्षेत्र की प्रयुक्ति कहा जाता है। हिन्दी भाषा के संदर्भ में - पत्रकारिता, विधि, विज्ञान, खेलकूद, रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन, कार्यालयी आदि की भाषा का रूप अलग-अलग है। इन्हें हिन्दी भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियाँ कहते हैं।

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.12
2. अनुवाद भारती : अंक 20-21, संपादक डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.4
3. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.117

हिन्दी की मुख्य प्रयुक्तियों में प्रशासनिक हिन्दी, विधि की हिन्दी, खेलकूद की हिन्दी, विज्ञापन की हिन्दी, शेयर बाजार की हिन्दी, बैंक की हिन्दी, आम बोलचाल की हिन्दी, व्यापारी हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी, विज्ञान एवं तकनीकी हिन्दी आदि का समावेश होता है ।"[1]

7.2 सरकारी अनुवाद व्यवस्था :

हिन्दी भाषा की प्रयुक्ति प्रशासनिक हिन्दी अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है । सरकारी कार्यालयों में हिन्दी भाषा का प्रचलन हो इस उद्देश्य से सभी प्रांतों की राजकाज की भाषा का हिन्दी अनुवाद शुरू किया गया । डॉ. राम गोपाल सिंह का कहना है - "26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान देश में लागू हुआ । पहली बार हिंन्दी को राष्ट्रीय धरातल पर राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई । भारतीय संविधान में हिन्दी के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हैं । संविधान के 5, 6 तथा 17 इन तीनों भागों में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं । इनमें भाग 5 के अनुच्छेद 120 में 'संसद की भाषा' भाग तथा 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य की विधानसभाओं के संबंध में निर्देश हैं । सत्रहवें भाग के चार अध्यायों में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं । इनमें प्रथम अध्याय में संघ की भाषा के संबंध में 343 तथा 344 अनुच्छेद हैं । द्वितीय अध्याय में 345,346 तथा 347 अनुच्छेदों में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तृतीय अध्याय के अनुच्छेद 342 एवं 349 में उच्च न्यायलय और सर्वोच्च न्यायलय की भाषा के संबंध में निर्देश हैं । चौथे अध्याय के अनुच्छेद 350 में किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होनेवाली भाषा में अभ्यावेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक दिया गया है तथा अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं ।"

"अनुच्छेद 351 के अनुसार - हिन्दी भाषा की प्रसारवृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए

1. अनुवाद भारती : अंक 20-21 , संपादक डॉ. राम गोपाल सिंह, में अशोक वर्मा का लेख 'भाषा का प्रयोजन : प्रयोजनमूलकता', पृ.23

बिना हिन्दुस्तानी और अष्ठम् अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।"

"इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के 1952 तथा 1955 के आदेश, राजभाषा आयोग - 1955, संसदीय राजभाषा समिति 1957, संघ तथा राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का 1960 का आदेश, राजभाषा अधिनियम - 1963, राजभाषा (संशोधित) अधिनियम 1967, राजभाषा नियम - 1976 आदि का हिन्दी के विकास एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्त्व है ।"[1]

इसके अलावा राजभाषा आयोग तथा संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप मार्च, 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई और 27 अप्रैल,1960 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार इस निदेशालय को केन्द्रीय सरकार के सभी असांविधिक मैनुअलों, फॉर्मों, नियमों का भी अनुवाद कार्य सौंपा गया । वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने कृषि, चिकित्सा, मानविकी इंजीनियरी, रेल, सूचना एवं प्रसारण, परिवहन, डाक व तार, रसायन विज्ञान, गणित, प्रशासन आदि अनेक विषयों की शब्दावलियाँ तैयार की हैं । इसके अतिरिक्त 1 मार्च 1971 को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई । 26 जून, 1975 को स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना भारत सरकार ने की । संविधान लागू होने के समय सरकारी कामकाज का करीब-करीब तमाम साहित्य अंग्रेजी में था । इसलिए इस साहित्य को हिन्दी में सुलभ करवाकर ही संवैधानिक दायित्त्वों का पालन हो सकता था । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 27 अप्रैल, 1960 को भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें सरकारी कार्यालयों में जिन अधिनियमों, सांविधिक-असांविधिक संहिताओं, नियमों, पुराने रजिस्टरों एवं अन्य प्रक्रिया साहित्य का प्रयोग किया जाता है उनका हिन्दी में अनुवाद कराया जाए ऐसा कहा गया था ।[2]

संकल्प, सामान्य आदेश संसद के समक्ष प्रस्तुत होनेवाली सामग्री और

---

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.15
2. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.123

रिपोर्ट आदि के अनुवाद की जवाबदारी संबंधित मंत्रालयों, दिमागों पर डाली गई, जिसे सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु इस मंत्रालयों, विभागों में उपनिदेशकों, सहायक निदेशकों, हिन्दी अधिकारियों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अनुवादकों आदि के पद सृजित किए गए हैं ।

7.3 पारिभाषिक शब्द और अनुवाद :

पारिभाषिक शब्द अर्थात् जिस शब्द का अर्थ जानने, समझने के लिए परिभाषा की आवश्यकता हो । डॉ. रघुवीर के अनुसार "पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएँ बाँध दी गई हों । जिन शब्दों की सीमा बाँध दी जाती हैं, वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बाँधी जाती, वे साारण शब्द होते हैं ।"[1] 'पारिभाषिक' अर्थात् 'परिभाषा संबंधी' । 'भाष्' धातु में 'परि' उपसर्ग जुड़कर 'परिभाषा' शब्द की व्युत्पत्ति हुई है । 'परि' उपसर्ग विशिष्टता या विशेषार्थ का द्योतक है तथा 'भाष्' धातु 'कथन' का द्योतक है । अतएव 'परिभाषा' अर्थात् विशिष्ट (क्षेत्र, संदर्भ आदि) शब्द की पहचान । जो परिभाषा या विशिष्ट संदर्भ से जुड़ा हो अथवा जिसकी परिभाषा करना आवश्यक हो वह शब्द अर्थात् पारिभाषिक शब्द ।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार - "पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे : रसायनशास्त्र, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणीविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अलंकारशास्त्र, गणित, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि के होते हैं तथा विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र में जिनकी अर्थसीमा परिभाषित या निश्चित होती है, शास्त्र विशेष में इनका एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ होता है, इसीलिए विषय विशेष में इनकी सहायता से निश्चित, स्पष्ट और अपेक्षित अभिव्यक्ति संभव होती है ।"[2]

डॉ. रामगोपाल सिंह के अनुसार - "पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, विषय या सिद्धान्त से संबंधित, एक सुनिश्चित अर्थ अथवा परिभाषा से युक्त तथा अपने स्वरूप और प्रयोग में स्वायत्त होते हैं ।"[3]

---

1. कम्प्रीहेन्सिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश - हिन्दी, डॉ. रघुवीर
2. अनुवाद विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.153
3. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.125

क्षेत्र या संदर्भ से जुड़े हुए वे शब्द कि जिनका उसी क्षेत्र या संदर्भ में विशिष्ट अर्थ होता है । पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं । सामान्य अर्थ न लेकर विशिष्ट अर्थ देनेवाले शब्द संबंधित विषय, क्षेत्र आदि के पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं । गैस शब्द का अर्थ जीवविज्ञान में या रसायनविज्ञान में होता है वही अर्थ यांत्रिकी विज्ञान में नहीं हो सकता । अर्थात् जीव विज्ञान, रसायण विज्ञान के संदर्भ में 'गैस' शब्द पारिभाषिक शब्द के रुप में प्रयुक्त होता है । सामान्य शब्दों की तरह अर्थ न देकर विशिष्ट अर्थ देनेवाले शब्द पारिभाषिक शब्द हैं । इन शब्दों के अनेक प्रसार हैं । डॉ. रामगोपाल सिंह ने पारिभाषिक शब्दों के पाँच प्रकार माने हैं -[1]

1. स्रोत के आधार पर पारिभाषिक शब्द :
2. विषय के आधार पर पारिभाषिक शब्द :
3. प्रयोग या व्यवहार के आधार पर पारिभाषिक शब्द :
4. अर्थ-स्तर के आधार पर पारिभाषिक शब्द :
5. संरचना के आधार पर पारिभाषिक शब्द :[2]

1. स्रोत के आधार पर पारिभाषिक शब्द :

हिन्दी भाषा में पारिभाषिक शब्द मुख्यत: चार स्रोतों से आए हैं -

(अ) प्राच्य स्रोत : हिन्दी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका स्रोत प्राचीन भारतीय भाषाएँ - संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश है । जैसे - संस्कृत स्रोत से अर्हता, पदोन्नति, शैक्षिक, शुल्क, अनाहत, तस्कर आदि । इसके अलावा हिन्दी भाषा में हिन्दी स्रोत से भी अनेक शब्द आए हैं यथा - पहुँच (Approach), लेखा (Account) आदि अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं कि जिनका स्रोत अन्य भारतीय भाषाएँ हैं यथा - तमिल से चिल्लर (रेजगारी के लिए), गुजराती से नवलिका, मराठी से साजगृह (Theatre), कन्नड़ से प्रतिष्ठान (Establishment)

(आ) पाश्चात्य स्रोत : हिन्दी भाषा के अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे है जिनका स्रोत पुर्तगाली, अंग्रेजी, लैटिन, अरबी, फारसी आदि भाषाएँ हैं । यथा - पुर्तगाली से तौलिया, बिस्कुट, लालटेन, गमला, पिस्तौल, बोतल, क्रिस्तान आदि । अंग्रेजी से डॉक्टर, कॉलेज, कोटा, जेल, परमिट, बैंक, चैक,

---

1. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.125
2. वही, पृ.126

साइकिल, रेल आदि । अरबी-फारसी से बर्खास्त, दीवानी (Civil), मुकद्दमा (Case), कचहरी (Court), जमानत (Bail), दस्तावेज (Document), फौजदारी (Criminal) आदि ।

(इ) **जनपदीय स्रोत** : अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनका स्रोत बोली या जनपदीय भाषा हैं । यथा - पावती, घुसपैठिया, मत्ता, छूट आदि ।

(ई) **मिश्रित स्रोत** : हिन्दी भाषा में अनेक पारिभाषिक शब्द दो भिन्न भाषाओं के मिश्र रूप से आए हैं । यथा फारसी और संस्कृत मिश्रित - जिलाधीश, न्यायाधीश आदि अंग्रेजी और हिन्दी मिश्रित - जेलमंत्री आदि, उर्दू और हिन्दी मिश्रित - माँगपत्र, कानूनी अधिकार आदि ।

2. विषय के आधार पर :

विषय के आधार पर पारिभाषिक शब्दों को दो वर्गों - (क) मानविकी और (ख) वैज्ञानिक में विभाजित किया गया है ।

(क) मानविकी विषय के आधार पर पारिभाषिक शब्दों में साहित्यिक, भाषावैज्ञानिक, संगीतशास्त्रीय, राजनीति विषयक, समाजशास्त्रीय आदि विषयों के शब्दों को समाहित किया जा सकता है ।

(ख) वैज्ञानिक विषय के आधार पर पारिभाषिक शब्दों में जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, गणित आदि वैज्ञानिक क्षेत्रों के शब्दों को समाहित किया जा सकता है ।

3. प्रयोग या व्यवहार के आधार पर :

प्रयोग या व्यवहार के आधार पर हिन्दी भाषा में पारिभाषिक शब्दों को तीन वर्गों (क) पूर्ण पारिभाषिक (ख) अर्ध पारिभाषिक और (ग) अल्प पारिभाषिक शब्द में बाँटा जा सकता है ।

(क) **पूर्ण पारिभाषिक शब्द** : जिन शब्दों का उपयोग विभिन्न विज्ञानों, शास्त्रों, क्षेत्रों आदि में विशिष्ट अर्थों में ही किया जाता है वे पूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं । जैसे रसायन विज्ञान में कार्बन, जीव विज्ञान में कोष, गणित में दशमलव आदि ।

(ख) **अर्धपारिभाषिक शब्द** : इस वर्ग में केवल वे ही शब्द समाहित हैं कि जो पारिभाषिक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं और सामान्य अर्थ में भी । जैसे - 'आपत्ति' शब्द कानून या विधि की भाषा में पारिभाषिक शब्द है जबकि यह शब्द सामान्य शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होता है । 'ख्याति' शब्द

दर्शनशास्त्र में अति विश्लेषित पारिभाषिक शब्द है तथा इसे सामान्य शब्द के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है ।

(ग) **अल्प पारिभाषिक शब्द :** अल्प पारिभाषिक शब्दों को सामान्य शब्द भी कहा जाता है । ये शब्द मूल रु से सामान्य भाषा के सामान्य शब्द होते हैं परन्तु प्रसंगवश विशिष्ट विज्ञानों, क्षेत्रों या शास्त्रों में पारिभाषिक शब्द का अर्थ भी देते हैं । जैसे - दाँत या दंत सामान्य शब्द है तो चिकित्सा विज्ञान में पारिभाषिक शब्द है । ध्वनि शब्द सामान्य शब्द है जबकि भाषा विज्ञान, व्याकरण एवं काव्यशास्त्र में पारिभाषिक शब्द है ।

4. अर्थ स्तर के आधार पर :

इस आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दो भेद किए जा सकते हैं : (अ) संकल्पनाबोधक और (ब) वस्तुबोधक ।

(अ) **संकल्पनाबोधक पारिभाषिक शब्द :** विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को व्यक्त करनेवाले शब्द संकल्पनाबोधक शब्द कहलाते हैं । यथा - गणित में दशमलव, बिन्दु, समीकरण आदि, मनोविज्ञान में हीनग्रंथि, व्यक्तित्व आदि, दर्शनशास्त्र में आत्मा, प्राण, मोक्ष, ख्याति आदि ।

(ब) **वस्तुबोधक पारिभाषिक शब्द :** वस्तुबोधक पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से ठोस चीजों या वस्तुओं को व्यक्त किया जाता है । जैसे - रसायन विज्ञान में ओक्सीजन, हिलीयम, पोटेशियम आदि, जीव विज्ञान में कोशिका, जीवद्रव्य आदि ।

5. संरचना के आधार पर :

संरचना के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं । (क) मूल पारिभाषिक शब्द और (ख्र) यौगिक पारिभाषिक शब्द ।

(क) **मूल पारिभाषिक शब्द :**

जो पारिभाषिक शब्द स्रोत भाषा से मूल रूप में संबंधित संकल्पना के लिए ग्रहण किए जाते हैं वे मूल पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं । यथा - वित्त, पुष्टि, आदेश, निधि आदि ।

(ख्र) **यौगिक पारिभाषिक शब्द :**

यौगिक पारिभाषिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनाए जाते हैं । जैसे - वित्त वर्ष, वित्तमंत्री, चुनाव आयोग, मँहगाई भत्ता,

यात्रा भत्ता, आनादृत चेक, कर्मचारी चयन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि ।

पारिभाषिक शब्दों की विशेषता यह है कि वे सहज, सरल, और उच्चारण में सुकर होते हैं, साथ ही उनमें सुस्पष्टता और अर्थ सुगमता के साथ संक्षिप्तता, संरचनाशीलता, समन्वयशीलता, संकल्पनानुरूपता, मौलिकता और स्वतः संपूर्णता एवं एकरूपता के गुण होते है । जबकि डॉ. रघुवीर का मानना है कि "पारिभाषिक शब्द कभी सरल तो हो ही नहीं सकते । हाँ ! यह हो सकता है कि बच्चों को सिखाने के लिए भाषा सरल कर दी जाए, परन्तु पारिभाषिक शब्द सरल नहीं हो सकते । सरल उन शब्दों को कहते हैं कि जिन्हें बिना पढ़े-लिखे लोग, कुली, बच्चे, गाँव के लोग आदि भी समझते हों ।"[1]

शिवाजी महाराज की प्रेरणा से सन् 1707 में रघुनाथ पंत द्वारा लिखे गये 'राजकोश' से भारत में शब्दकोश निर्माण की परम्परा शुरू हुई, परन्तु उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की दिशा में सुनियोजित प्रयास होने लगे थे । डॉ. राम गोपाल सिंह लिखते हैं कि "डॉ. श्याम सुन्दर दास का मानना है कि भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्द निर्माण का सर्वप्रथम कार्य 1888 ई. में बड़ौदा नरेश की संरक्षकता में टी.के. गज्जर द्वारा हुआ । सन् 1889 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 'हिन्दी साइंटिफिक ग्लॉसरी' नामक पारिभाषिक कोश तैयार करवाया जो 1901 में पूरा हुआ । पारिभाषिक शब्दों के बारे में विद्वतापूर्ण सैद्धान्तिक कार्य सन् 1914 में श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने किया । इसके बाद 1940 में सुख संपतिराय भंडारी का कोश 'ट्वेन्टिएथ सेंच्युरी इंग्लिश हिन्दी डिक्शनरी' प्रकाशित हुआ । स्वतंत्रता के बाद देशी भाषाओं की शिक्षा और राजकाज का माध्यम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई तथा विद्वानों का ध्यान पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की ओर गया ।"[2]

आधुनिकता की ओर बढ़ते समय विभिन्न विषयों, क्षेत्रों, संदर्भों आदि के लिए पारिभाषिक शब्द-निर्माण की नितान्त आवश्यकता होती है । शब्द-

1. अनुवाद भारती, अंक 12-13, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह, में प्रकाशित डॉ. रघुवीर का लेख 'पारिभाषिक शब्द' पृ.11
2. अनुवाद भारती, अंक 12-13, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह का लेख पारिभाषिक शब्दावली : विभिन्न सम्प्रदाय पृ.16

निर्माण की नीति के संबंध में संविधान निर्माताओं ने व्यापाक एवं स्पष्ट नीति निर्धारित की है । भारत के संविधान के अनुसार - "संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि निश्चित करे"(भारत का संविधान, अनुच्छेद: 351) ।

डॉ. तुमनसिंह लिखते है कि "अनुवाद का उद्देश्य तभी संपन्न होगा जब उसमें प्रयुक्त शब्दों में से अधिकांश को बिना कोई विशेष प्रयास के पाठक समझ लें । आधुनिक कोशों के आरंभकर्ता और निर्माता यूरोपियन थे और उन्होंने व्यावहारिक पक्ष को कभी नज़र अंदाज नहीं किया । गिलक्रिस्ट (A Dictionary of English and Hindustani), फर्क पैट्रिक (A vocabulory of Persion, Arebic and English), विलियम हंटर (Hindustani English Dictionary), रोबक (Nanitical HIndustani) पीटर ब्रेटन (शरीर रचना और चिकित्सा शब्दावली), पैलन हिन्दुस्तानी - इंग्लिश लॉ एन्ड कॉमर्शियल डिक्शनरी) जॉन प्लाट्स (A Dictionary of urdu & classical Hindi and English) आदि यूरोपियन कोशकारों ने द्विभाषी और बहुभाषी कोशों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । यूरोपियन विद्वानों द्वारा संपादित इन कोशों का रचनाकाल लगभग 1786 और 1930 के बीच का रहा है ।"[1]

हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए डॉ. देवेन्द्र वर्मा लिखते हैं कि "पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा हुआ जो बाबू श्याम सुंदर दास के प्रधान संपादकत्त्व में सात वर्षों के लगातार श्रम के पश्चात हिन्दी भाषा में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने में समर्थ हो सकी । सन् 1906 में नागरी प्रचारिणी सभा के सद्प्रयासों से 'हिन्दी वैज्ञानिक कोश' का प्रकाशन हुआ । इस कोश के निर्माण में प्रधान संपादक ने विभिन्न

1. अनुवाद भारती, अंक 12-13, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह, में डॉ.तुमनसिंह का लेख - 'पारिभाषिक शब्दावली और पारदर्शिता' पृ.30

विषयों के मान्य विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया और पग-पग पर उनसे विचार-विमर्श कर नीति निधारित की । इस पारिभाषिक कोश में ज्योतिष, रसायनशास्त्र, भूगोल, गणित, दर्शनशास्त्र, भौतिकशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत किए गए थे । सन् 1904 में वल्लभ प्रेस, कलकत्ता से पंडित ब्रजवल्लभ मिश्र के संपादन में 'अंग्रेजी-हिन्दी व्यापारिक कोश' का प्रकाशन हुआ । सन् 1912 में व्यापारी एण्ड कारीगर प्रेस, बनारस से ठाकुर प्रसाद खत्री के संपादन में 'जगत व्यापारिक पदार्थ कोश' प्रकाशित हुआ । 1920 में 'वल्लभ त्रैमासिक कचहरी कोश' का प्रकाशन हुआ ।"

इस काल में प्रकाशित अन्य पारिभाषिक शब्द कोशों में 'हिन्दी वैद्युत शब्दावली' (संपादक - केशवप्रसाद मिश्र, रामनाथसिंह, सन् 1925) 'राजनीतिक शब्दावली' (संपादक - गदाधर प्रसाद अम्बट, भगवानदास केला, सन् 1927) एवं 'वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द' (संपादक - सत्यप्रकाश सन् 1930) आदि हैं । 'हिन्दी शब्द-सागर' के प्रकाशन के साथ ही पारिभाषिक कोशों के निर्माण को एक नई दिशा मिली । इस समय प्रकाशित तकनीकी विषयों के पारिभाषिक शब्दकोशों में डॉ. सहस्रबुधे एवं एन.डी.पाटंकर के संपादन में 1931 में दो भागों में प्रकाशित 'शरीरशास्त्रलोक पारिभाषिक शब्द' महत्त्वपूर्ण है । सन् 1943 में नागरीप्रचारिणी सभा से प्यारेलाल गर्ग के संपादन में 'कृषि शब्दावली' का प्रकाशन हुआ ।[1]

हिन्दी भाषा में पारिभाषिक शब्द निर्माण के क्षेत्र में शुरूआत से ही विभिन्न मत मतान्तर रहे हैं । कुछ विद्वानों का मत रहा कि पारिभाषिक शब्द संस्कृत निष्ठ होने चाहिए तो कुछ का मत था कि ये शब्द सरल होने चाहिए। कुछ मानते थे कि ये शब्द सर्वमान्य होने चाहिए तो कुछ कहते कि पारिभाषिक शब्द सर्वग्राह्य होने चाहिए, आदि ।

डॉ. राम गोपाल सिंह ने इन मतमतान्तरों को विभिन्न संप्रदाय कहकर निम्नलिखित प्रकाश डाला :

1. राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय :

इस प्रवृत्ति को शुद्धतावादी, प्राचीनतावादी, संस्कृतवादी आदि अनेक

---

1. अनुवाद भारती, अंक 12-13, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह, में प्रकाशित डॉ. देवन्द्र वर्मा का लेख हिन्दी में पारिभाषिक कोश : उद्भव एवं विकास, पृ.34

नाम दिए गए हैं । इस मत के पक्षधर विद्वान पारिभाषिक शब्दों के लिए या तो संस्कृत से शब्दग्रहण करना चाहते हैं या संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, धातु आदि के आधार पर नए शब्द गढ़ना चाहते हैं । इस विचारधारा के प्रवर्तक डॉ. रघुवीर ने लाखों शब्दों का निर्माण किया है । उन्होंने आंग्लभारतीय महाकोश, वाणिज्य शब्दकोश, सांख्यिकी शब्दकोश, वैज्ञानिक शब्दकोश, अर्थशास्त्र शब्दकोश, तर्कशास्त्र शब्दकोश, पक्षीनामावली, स्तनिनामावली, भेषज-संहिता शब्दकोश, मंत्रालय कोश, विधिकोश, वानिकी कृषिकोश, अंग्रेजी हिन्दी बृहदकोश आदि का निर्माण किया । इस वाद के प्रवर्तक ने पारिभाषिक शब्द निर्माण के लिए सिद्धांत बनाए कि पारिभाषिक शब्द भारतीय परंपरा अर्थात् वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पालि आदि ग्रंथों से अपनाकर गंढे जाएँ ।

यथा - Auction - कोशविक्रय (कौटिल्य के अर्थशास्त्र से)

Actroi - द्वारादेय (राजतंरगिनी से) । पारिभाषिक शब्द को संस्कृत के उपसर्ग और धातु से निर्माण करना चाहिए; यथा - Law + less + ness = विधि+हीन+ता, Tele + phone = दूर भाष आदि आवश्यकता पड़ने पर नए प्रत्यय का निर्माण करके शब्द निर्माण करना चाहिए । यथा - 'धातु' शब्द से 'आतु' प्रत्यय बनाकर Alloy = मिश्रातु, Platinum = महातु, Radium = तेजातु, Calcuim = पूर्णातु आदि ।

2. शब्द ग्रहणवादी संप्रदाय :

इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों या यत्किंचित अनुकूलित करके हिन्दी में समाहित कर लिया जाना चाहिए । यथा -

Comedy - कामदी, tragedy - त्रासदी, Nitrogen - नेत्रजन आदि ।

3. प्रयोगवादी या हिन्दुस्तानी संप्रदाय :

इस संप्रदाय के पक्षधर विद्वानों का कहना है कि पारिभाषिक शब्दों को जटिल न बनाकर सरल एवं सहज बनाया जाए जो हिन्दी और उर्दू भाषा के समन्वय से आम बोलचाल में सहज प्रयुक्त हो सकें । इस संप्रदाय के विद्वानों ने अनेक पारिभाषिक शब्द बनाए परन्तु अधिकांश शब्द हास्यास्पद होने से नहीं चल पाए । यथा -

Extermination - जड़ उखाड़ी, Reminder - याद दिलाई, Government - शासनिया आदि ।

4. लोकवादी सम्प्रदाय :

इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि पारिभाषिक शब्द जनप्रयोग से ग्रहण करके तथा जनप्रचलित शब्दों के योग से बनाए जाने चाहिए । यह प्रणाली हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुरूप थी परन्तु आवश्यकतानुसार तीव्रता से उचित संख्या में शब्द निर्माण नहीं हो सकने के कारण अधिक शब्द नहीं बन सके ।

Defector - दल बदलू, Power House - बिजलीघर आदि इसी संप्रदाय से आए हुए शब्द हैं ।

5. मध्यममार्गी या समन्वयवाद संप्रदाय :

इस संप्रदाय के पक्षधर विद्वानों का मानना है कि विदेशी भाषाओं तथा भारतीय भाषाओं - संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय भाषाओं, बोलियों, प्रांतीय भाषाओं आदि से सुविधानुसार शब्द ग्रहण करके पारिभाषिक शब्द बनाए जाएँ । इस विचारधारा का अनुसरण मुख्यतः सरकारी कार्यकलापों में सरकारी शब्द निर्माण संस्थानों में किया गया । इस सम्प्रदाय का मानना है कि सर्वप्रथम हिन्दी के उपलब्ध शब्दों को ग्रहण किया जाए उसके बाद हिन्दी में प्रचलित किया जाए उसके बाद भी अर्थ संप्रेषण की बात न बने या शब्द जटिलता पैदा करे तो अनुकूलन किया जाए । यथा -

Interim - अंतरिम, Academy - अकादमी आदि ।[1]

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में सरकारी प्रयास :

भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है । अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा का विकास और उसकी समृद्धि को सुनिश्चित करने का कर्तव्य संघ की सरकार का है । 27 अप्रैल, 1960 को भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार सरकारी कार्यालयों आदि में जिन अधिनियमों, सांविधिक, असांविधिक संहिताओं, नियमों, पुराने रजिस्टरों तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य का प्रयोग किया जाता है, उनका हिन्दी भाषा में अनुवाद कराया

---

1. अनुवाद विज्ञान : 'स्वरूप और समस्याएँ', डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.161

जाए। सांविधिक साहित्य के अनुवाद की जवाबदारी विधायी खंड के राजभाषा विभाग को सौंपी गई तथा गैर सांविधिक प्रकार के साहित्य के अनुवाद की जवाबदारी केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपी गई । विधायी विभाग का राजभाषा विभाग सांविधिक स्थायी स्वरूप के साहित्य का अनुवाद करता है जिसमें अधिनियम, अध्यादेश, बिल, सांविधिक नियमावलियाँ आदि शामिल हैं । फॉर्म, परमिट, करार, नोटिस, लाइसेन्स आदि की सामग्री के अनुवाद की इस विभाग में व्यवस्था है । गैर सांविधिक स्थायी स्वरुप के साहित्य के अनुवाद की जवाबदारी केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की है । केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार के अधीन कार्यरत उपक्रमों, निगमों, कम्पनियों आदि के साहित्य का भी अनुवाद करता है । केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने स्थायी स्वरूप के अनुवाद को सुचारु रुप से संचलित करने के लिए संबंधित विभागों को अनुमति दी है । डाक व तार, रेल्वे बोर्ड, रक्षा मंत्रालय आदि ने अपनी सामग्री का स्वयं अनुवाद किया है ।[1] 1951 में शिक्षा मंत्रालय में एक हिन्दी एकक की स्थापना हुई जिसे बाद में प्रभाग में परिवर्तित किया गया । राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के फलत: मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई । 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेशानुसार इस निदेशालय को केन्द्रीय सरकार के सभी असांविधिक मैनुअलों, फॉर्मों, नियमों आदि का भी अनुवाद सौंपा गया । निदेशालय ने द्विभाषी-त्रिभाषी शब्दकोश तैयार किए हैं तथा अहिन्दी भाषियों और विदेशियों को हिन्दी सिखाने के लिए पाठ्यमालाएँ आदि तैयार की हैं ।

अक्टूबर, 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई जिसने इंजीनीयरी, रसायन विज्ञान, गणित, रेल, सूचना एवं प्रसारण, मानविकी, प्रशासन, डाक व तार, कृषि विज्ञान, परिवहन आदि विभिन्न विषयों की शब्दावलियाँ तैयार की हैं ।[2]

7.4 प्रयोजनमूलक क्षेत्र और अनुवाद :

जिस क्षेत्र में भाषा का विशिष्ट प्रयोजन होता है उस क्षेत्र को प्रयोजनमूलक क्षेत्र कहते हैं । अन्य शब्दों में कहें तो जिस क्षेत्र में

1. अनुवाद भारती, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह, में प्रेमपालसिंह का लेख 'सरकारी अनुवाद की व्यवस्था', पृ.16
2. अनुवाद विज्ञान, स्वरूप और समस्याएँ, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.122

प्रयोजनमूलक भाषा का प्रयोग किया जाता है उस क्षेत्र को प्रयोजनमूलक क्षेत्र कहते हैं । एक ही भाषा में अनेकों प्रयोजनमूलक क्षेत्र स्थापित हुए होते हैं । मनुष्य के जितने भी व्यवहार हैं उतने ही प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं । ब्रिटिश स्कूल के फर्थ के अनुयायी भाषा वैज्ञानिक रीड कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समरुप स्थितियों में समरुप व्यवहार नहीं करता । विभिन्न सामाजिक स्थितियों में उसका व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है । अन्य भाषा वैज्ञानिक केटफोर्ड मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएँ निमाता है । इन भूमिकाओं के क्षेत्रों में वह भाषा के विभिन्न रुपों का प्रयोग करता है ।[1] एक ही व्यक्ति कहीं कर्मचारी है तो कहीं शिक्षक, कहीं ग्राहक है तो कहीं विक्रेता, कहीं डॉक्टर है तो कहीं इंजीनियर, कहीं पिता है तो कहीं पुत्र, कहीं भाई, कहीं पति, कहीं भांजा तो कहीं मामा आदि अनेक भूमिकाओं में वह अपनी भाषा के विभिन्न रुपों का प्रयोग करता है । विभिन्न विषयों या क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा को संबंधित प्रयोजनमूलक क्षेत्र की प्रयुक्ति या प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं । हिन्दी भाषा के संदर्भ में कार्यालय, विधि, बाजार, बैंक, पत्रकारिता, खेलकूद, विज्ञान, विज्ञापन, संसद, दूरदर्शन आदि प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं ।

7.4.1 प्रशासनिक भाषा और अनुवाद :

शासन के राजकाज में प्रयुक्त भाषा प्रशासनिक भाषा है । सरकारी कामकाज में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक भाषा को प्रशासनिक भाषा, कार्यालयी भाषा आदि नामों से जाना जाता है । सरकारी कार्यालयों में पहले अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करके प्रशासनिक हिन्दी का रुप दिया जाता था, परन्तु अब प्रशासनिक हिन्दी भाषा का स्वतंत्र रुप विकसित हो चुका है । प्रशासनिक हिन्दी का यह रुप अनुवाद के माध्यम से ही विकसित हुआ है ।

भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद भारतीय संविधान में भारत संघ की राजभाषा के रुप में हिन्दी के आते ही प्रशासनिक हिन्दी की शुरुआत हो गई थी । 1955 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार यह आवश्यक हो गया कि प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्र-पत्रिका, सरकारी सामग्री आदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी प्रकाशित की जाएँ । सरकारी संकल्पों और विधिक आदि नियमों में भी हिन्दी का प्रचलन किया गया । भारत सरकार द्वारा भेजे

1. अनुवाद भारती, अंक 20-21, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह, में प्रकाशित अशोक वर्मा का लेख, भाषा का प्रयोजन : प्रयोजनमूलकता, पृ.22

जानेवाले पत्रादि के साथ उनका हिन्दी अनुवाद भेजा जाने लगा । 27 अप्रैल 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार असांविधिक साहित्य के अनुवाद की जवाबदारी शिक्षामंत्रालय को सौंपी गई और सांविधिक नियमों, विनियमों, आदेशों आदि का काम विधि मंत्रालय को सौंपा गया ।

प्रशासनिक भाषा में एक सुनिश्चित शब्दावली और सुनिश्चित अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है । इसके लिए भारत सरकार ने अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थायी आयोग के रूप में स्थापना की जिसे प्रशासनिक विषयों के अलावा अन्य विषयों की शब्दावली निर्माण करने का काम भी सौंपा गया ।

प्रशाशनिक भाषा की शब्दावली सर्जनात्मक साहित्य से नितांत् भिन्न होती है । प्रशासनिक भाषा की प्रकृति मुख्यत: तकनीकी होती है जबकि सर्जनात्मक साहित्य की भाषा भावप्रधान होती है ।

डॉ. रामगोपाल सिंह कहते हैं कि "प्रशासनिक भाषा का स्वरूप व्यक्ति निरपेक्ष होता है जबकि व्यक्तिगत पत्राचार की भाषा का स्वरूप व्यक्ति सापेक्ष होता है । इसमें पर्यायवाची शब्द नंहीं होते । इसमें एक शब्द के लिए एक ही पर्यायवाची शब्द सुनिश्चित किया जाता है ।"[1]

प्रशासनिक भाषा में अधिकारी जिस किसी को आदेशादि देता है तब अधिकारी स्वयं न कहकर निरपेक्ष रहता है यथा - "आपको आदेश दे रहा हूँ" न कहकर वह लिखेगा आपको आदेश दिया जाता है कि "आपको अनुमति दे रहा हूँ" न कहकर "आपको अनुमति दी जाती है" लिखता है । इसी तरह एक शब्द के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है यथा - Sanction, Permission और approval इन तीनों शब्दों का सामान्य अर्थ करीब-करीब समान है किन्तु इनका प्रयोग अलग-अलग स्थितियों में किया जाता है । यथा Sanction के लिए स्वीकृति या मंजूरी (आर्थिक या पद के लिए), Permission के लिए अनुमति तथा approval के लिए अनुमोदन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है । Action के लिए कार्रवाई और Proceeding के लिए कार्यवाही शब्द का प्रयोग किया जाता है ।

डॉ. भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि "प्रशासनिक भाषा की सामग्री मूलत: अभिधाप्रधान होती है । सर्जनात्मक साहित्य (जैसे कविता, नाटक, कथा-

---

1. अनुवाद भारती, अंक 32-33, संपादक - डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.20

साहित्य आदि) की तरह लक्षणा और व्यंजना का इसमें प्रयोग नहीं होता। प्रशासनिक भाषा में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, अनिवार्यत: होता है ।"[1] पारिभाषिक शब्द अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग संदर्भ देते हैं । एक ही शब्द अलग-अलग क्षेत्रों, विषयों आदि के अलग-अलग अर्थ का संप्रेषण करता है । यथा - Account का अर्थ कहीं खाता तो कहीं बही । Statistics का कहीं आँकड़े तो कहीं सांख्यिकी, Revenue का कहीं राजस्व तो कहीं मालगुजारी तो कहीं संप्राप्ति या आय । प्रशासनिक पत्रों में परम्परागत रूप में कुछ बातें बहुत ही रूढ़ियुक्त शैली में कही जाती हैं । यथा - With reference to your Letter No.575 dated 12th August 2003, I am directed to say that... इसमें I am directed to say that के लिए 'मुझे कहने का निदेशहुआ है कि' न कहकर 'मुझे कहना है कि' कहना अधिक प्रयुक्त है ।

स्पष्ट है कि प्रशासनिक भाषा पूर्णत: एकार्थी होनी चाहिए, एकाधिकार्थी नहीं । लक्षणा, व्यंजना से रहित अभिधा में ही प्रयुक्त होनी चाहिए । इसके अलावा अनुवाद की शैली, अलग पारिभाषिक शब्द, समस्त्रोतीयता, शैलीभेद, शब्द संक्षेप आदि प्रशासनिक भाषा के प्रमुख लक्षण हैं । सर्जनात्मकता के लिए या लक्षणा-व्यंजना भाषा चमत्कार दिखाने के लिए इस क्षेत्र में कोई गुंजाइश नहीं है । अत: प्रशासनिक हिन्दी, हिन्दी भाषा का एक स्वतंत्र प्रयोजनमूलक रूप है, जिसकी स्वतंत्र पारिभाषिक शब्दावली है जिसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने 'समेकित प्रशासनिक शब्दावली' के नाम से तैयार किया है । इस शब्दावली में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजमर्रा के दैनिक प्रशासनिक कामकाज में प्रयुक्त करीब 12000 शब्द, 425 वाक्यांश, 100 डिग्री - डिप्लोमा से संबंधित शब्द और उनकी संक्षिप्तियाँ शामिल की गई हैं ।

अंग्रेजी, अरबी-फारसी आदि स्रोतों से हिन्दी में अनेक पारिभाषिक शब्द आए हुए हैं । कानूनी, कार्रवाई, दाखिल, खारिज, सुलहनामा, हलफ़नामा आदि अरबी-फारसी स्रोत से आए हुए हैं । अंग्रेजी स्रोत से बैंक, चैक, फीस, पासबुक, स्टोर आदि अनेक पारिभाषिक शब्द आए हैं । इसके

1. अनुवाद विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.149

अलावा संस्कृत शब्दों, उपसर्गों, प्रत्ययों आदि की सहायता से भी अनेकों पारिभाषिक शब्द बनाए गए हैं ।

प्रशासनिक भाषा के अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों को लेकर समस्या खड़ी हो जाती है । वाक्य रचना के स्तर पर भी अनुवाद करते समय समस्या का सामना करना पड़ता है ।

7.4.2 विधि और अनुवाद :

अंग्रेजों ने विधि के क्षेत्र में फ़ारसी को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था लेकिन उसके बाद फ़ारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक विधि के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग नहींवत् होता था । अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन 1978 (स्मारिका) के पृ.40 पर लिखा है कि "केन्द्रीय सरकार ने प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनियम 1973 दिनांक 5 दिसंबर 1973 को पारित किया । इस अधिनियम में प्राधिकृत पाठ के लिए उपबन्ध नहीं किया गया है, केवल प्राधिकृत अनुवाद की व्यवस्था है । यह ध्यान देने योग्य है कि प्राधिकृत अनुवाद का प्रयोग न्यायलयों द्वारा निर्णय देने के लिए नहीं किया जा सकता । इस अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया गया है । लागू हो जाने पर भी न्याय-प्रशासन में राजभाषाओं के प्रयोग में इसका उपभोग अत्यन्त सीमित रूप से ही हो सकेगा ।"

न्याय की सत्ता पर विश्वास बनाए रखने के लिए तथा जनता का विश्वास प्राप्त करने हेतु जनता को न्याय उसकी भाषा में दिया जाए यह आवश्यक है । भारत में केवल दो प्रतिशत लोग भी ठीक से अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं जबकि विधि की भाषा पर अंग्रेजी ने अपनी मुहर लगा रखी थी । ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान ही सर्वप्रथम सन् 1797 ई. में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने यह विधान कर दिया था कि भारत में भारत संबंधी विधि के अनुवाद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाएँ । उसके बाद सन् 1803 में आदेश दिया गया : Every regulation with marginal notes, shall/be translated in the persian and Hindostanee language by the trandslators. {Sec. 15 of Reg. (1803)} । सन् 1830 में जब ईष्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को न्यायालयों में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेजी रखने के लिए लिखा गया तो उन्होंने यह कहकर उसका अस्वीकार किया कि - इसमें संदेह नहीं कि न्याय-प्रशासन न्यायाधीश की भाषा में हो,

किन्तु यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि यह ऐसी भाषा में हो जो मुकद्दमे के पक्षकारों, उनके अधिवक्ताओं और जनसाधारण की भाषा में हो । जनता द्वारा न्यायाधीश की भाषा सीखने की अपेक्षा न्यायाधीश द्वारा जनता की भाषा सीखना आसान है ।"[1] इसी आधार पर 18वीं सदी के छठे दशक में गवर्नर जनरल ने नियम बनाया था कि अधिनियमों के पारित होने पर उनका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किया जाए । इसके बाद तुरंत ही सभी अधिनियमों का अनुवाद भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में किया जाने लगा । दिनांक 6/4/1852 को हिन्दी में विज्ञप्ति गजट में निकली कि "हर पृष्ठ पै एक ओर हिन्दी और एक ओर उरदू हुआ करै ।"[2] 1957 में इस कार्य में रुकावट आ गई परन्तु 1860-61 से फिर से प्रकाशन कार्य शुरु हुआ । सन् 1871 के गजट में 60, 61, 68, 70 के अधिनियमों के अनुवाद का विज्ञापन प्रकाशित हुआ । फ़ारसी, अंग्रेजी भाषा से हिन्दी में इस प्रकार की सामग्री का अनुवाद करते समय अनेक शब्दों पर विचार करना पड़ता था । तकनीकी शब्दों के विशिष्ट अर्थों को अनुवाद के माध्यम से जनता तक पहुँचाना होता था । इस कारण एच.एच.विल्सन ने इस शब्दावली को 'ग्लॉसरी ऑफ़ ज्युडीशियल एन्ड रेवन्यु टर्म्स (लंदन, सन 1855) शीर्षक से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया । यह कार्य लगातार चलता रहा । इसके बाद परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव कृत 'श्रीवास्तव लॉ डिक्शनरी' (सन् 1938) महत्त्वपूर्ण शब्दकोश है । 'विधि शब्द सागर' कोश चार खंडों में श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी ने (सन् 1948-51) प्रकाशित किया । सन् 1961 में अखिल भारतीय मानक विधि शब्दावली तैयार करने हेतु राजभाषा (विधायी) आयोग की स्थापना की गई । 'विधि शब्दावली' का प्रथम संस्करण 1970 में प्रकाशित हुआ । 1979 में इसका दूसरा संस्करण (परिवर्धित) प्रकाशित हुआ । 1984 में इसका नया संस्करण प्रकाशित हुआ । आयोग के तत्त्वाधान में सैंकड़ों अधिनियमों के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । इंडियन पीनल कोड - 1860 का हिन्दी अनुवाद कुँवर लक्ष्मणसिंह और ह्यूम ने किया जो 'भारतीय दंड संग्रह' शीर्षक से प्रकाशित हुआ ।[3]

---

1. अनुवाद भारती अंक 20-21 जनवरी-जून 2000 में प्रकाशित डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया का लेख । विधि और अनुवाद, पृ.8
2. वही ।
3. वही, पृ.9

विधि आयोग 1/10/1976 को समाप्त कर दिया गया परन्तु सभी कार्यों को विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने संभाल लिया है । इस विभाग द्वारा 250 से भी अधिक अधिनियमों के द्विभाषीय संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं । राजभाषा खंड ने 400 से अधिक नियमों, विनियमों, आदेशों आदि के अनुवाद प्रकाशित किए हैं । इस प्रकार के सैंकड़ों अनुवाद हुए हैं और हो रहे हैं ।

7.4.3 बाजार भाव की भाषा और अनुवाद :

एक ओर जहाँ विश्व आधुनिकता की ओर अग्रसित हो रहा है तो दूसरी ओर उत्पादन क्षेत्र में कमरतोड़ हरीफ़ाई ने बाजारों को नए-नए आयाम दिए हैं। अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है जिसके मूल में झाँखा जाए तो भाषा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । उत्पादन का क्रय-विक्रय का आधार भाषा की सचोटता पर टिका हुआ है । पत्र-पत्रिकाओं में बाजार की खबरें तो छपती ही हैं परन्तु साथ ही बाजारभाव की भाषा ने उन पत्र-पत्रिकाओं में अपना स्थान भी नियत कर लिया है । पत्र-पत्रिकाओं में बाजार भाव की भाषा को यथायोग्य वाचा नहीं मिल पाई थी । इस कमी को आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने पूरा किया है। बाजारभाव की भाषा इस प्रकार 'और सँवरी' और 'और निखरी' है । बाजार की तेजी और मंदी का असर भी इस बाजारभाव की भाषा पर पड़ता है । शेयर बाजार में तेजी आने से अनेक नई तरह की समस्याएँ भी सामने आती हैं जिनके लिए भाषा को नए शब्द या तो गढ़ने पड़ते हैं या फिर नए शब्दों को अपनाया जाना पड़ता है । अनेक समाचार पत्रों में तो शेयरों के भाव के लिए निश्चित किए गए एकाधिक पृष्ठ भी नियत होते हैं । जैसे - टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में दो पृष्ठ 'बिजनेस टाइम्स' के लिए नियत रहते हैं । इन पृष्ठों पर बाजार की ताजा स्थिति, ताजा खबरें, भाव, शेयर, स्टॉक, शेयर सूचकांक, फंड, समीक्षा आदि सामग्री पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

समाचार पत्रों के अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन भी बाजार के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए अपनी-अपनी शक्तियाँ आजमा रहे हैं । आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापन या अन्य जानकारी केवल सुनी जा सकती है परन्तु दूरदर्शन चित्रों के माध्यम से अनेक अनकही बातें भी कह डालता है। यही कारण है कि बाजार भाव की भाषा ने इस माध्यम के माध्यम से

अपना विकास किया है । टेलीशॉपिंग के संबंध में दूरदर्शन पर नियमित रूप से कार्यक्रम दिखाकर उत्पादकों के गुणधर्म, प्रयोग, लाभ, टिकाऊपन, अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक उत्कृष्ट प्रयोग में आसान, अन्य झंझटों से मुक्ति आदि को नाटकीय रूप देकर कीमत बताकर तथा छूट का वास्ता देकर तुरंत पूर्ति के आदेश भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है । डॉ. राम गोपाल सिंह का कहना है कि "बाजार भाव की भाषा को विकसित करने में बाजार, आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र, व्यापार संघ आदि का भारी योगदान रहा है । बाजार भाव की भाषा में सामान्य शब्दों ने भी विशिष्टता हाँसिल की है जैसे खामोश रहना (आज चाँदी खामोश रही), हवा देना (अफवाहों ने सोने के भावों को हवा दी), सुस्त रहना (पिछले दिनों अनाज के बाजार सुस्त रहे), उछलना (चाँदी के भाव उछले) आदि ।"[1]

बाजार भाव की भाषा में एक ही वस्तु के विविध प्रकार होते हैं अतः इसके विश्लेषण तथा अनुवादक के लिए इन प्रकारों से परिचित होना आवश्यक है । बाजार में आ रही नई, किस्मों को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे - गेहूँ की अनेक किस्में बाजार में उपलब्ध हैं यथा - देशी गेहूँ, शरबती गेहूँ, दड़ा गेहूँ, पंजाब गेहूँ, फार्म गेहूँ, टुकड़ी गेहूँ आदि; चावल में बासमती चावल, बासमती सेला चावल, मैनपुरी चावल, परमल चावल, गुजरात सत्तर, रगम चावल आदि ।

इस प्रकार बाजार की भाषा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना चुकी है तथा इसकी स्वतंत्र अत्यंत सामान्य पारिभाषिक शब्दावली बाजार में गढ़ते-गढ़ते पनप चुकी है ।

7.4.4 बैंकिंग भाषा और अनुवाद :

मानवीय आकांक्षाओं और सांसारिक अनिवार्यताओं की पूर्ति हेतु, परस्पर वित्तीय सहायता पाने, धन-संरक्षण, ऋण लाभ प्राप्त करने के लिए तथा देश, समाज को आर्थिक समृद्ध करने के लिए 'बैंक' की आवश्यकता प्राचीनकाल से ही महसूस की जा रही थी । डॉ. पूरनचन्द टण्डन 'बैंक' शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में लिखते हैं कि "सन् 1171 में इटली में आए एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौरान वहाँ उत्पन्न स्थिति से लड़ने के लिए इटली के नागरिकों से सम्पत्ति का एक प्रतिशत अंश अनिवार्यतः ऋण के रूप में

---

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.53

लेकर, एक जगह की स्थापना की गई थी । इस अंश पर 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता था । नागरिकों से प्राप्त एक प्रतिशत ऋण से जब अपार पूँजी एकत्रित हो गई तो उसे 'बांका' (तिजोरी) में रखा गया । आगे चलकर यही 'बांका' शब्द जर्मन भाषा के पर्याय शब्द 'बैंक' के रूप में प्रयुक्त होने लगा । प्रयोग में आते-आते यह शब्द इटली में 'बैंको' फ्रांस में 'बैंके' तथा अंग्रेजी में 'बैंक' के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा ।"[1]

प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवस्था आज की तरह संस्थागत रूप में न होकर व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर ही थी । सूद पर धन देनेवाले के लिए वैदिक साहित्य में कुसीद, कुशीद, कुसीदपथ, कुसीदि, कुसिद आदि शब्द देखने को मिलते हैं । ऋण पर प्राप्त ब्याज को कुसीदवृद्धि कहा जाता था । मूल का आठवाँ या सोलहवाँ भाग ब्याज के रूप में दिए जाने का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है । ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख है कि "धनेन देवाः धनिमिच्छमाना" - अर्थात् "है ईश्वर ! मैं धनोपार्जन के लिए अपनी पूँजी में से उधार देने का व्यवसाय करता हूँ ।" रामायण काल में श्रेष्ठी और महाश्रेष्ठी वर्ग कि जो मुद्रा के लेन-देन का व्यापार व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप में करते थे का उल्लेख मिलता है । कई बार तो युद्ध छिड़ने पर महाराजा भी अस्त्र-शस्त्रादि के लिए इन्हीं महाजनों से कर्ज लेते थे । महाभारत, स्मृतिग्रंथों, मनुस्मृति आदि में भी ऋण संबंधी उल्लेख मिलते हैं । कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इस मत की पुष्टि होती है कि उस समय निजी या पारिवारिक व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व था जो जमा स्वीकार करते थे, ऋण देते थे तथा संबंधित अनेक कार्य भी करते थे । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'ऋणादानम्' में स्पष्ट उल्लेख है - सपादपणाधर्म्यामासवृद्धि पणशतश्य । पंचपणा व्यावहारिकी । ततः परं कर्तुः कारयितश्च पूर्वः साहस दण्डः । श्रोतृणामेकेकम प्रत्यर्धदण्डः । राजन्ययोगक्षेमवहे तु धनिक धारणिकमौश्चरित्रमवेक्षेत । धान्य वृद्धिः सस्यनिपत्तावुपार्धा परं मूल्यकृतावधैत । प्रक्षेपवृद्धिरुपार्धम् । सन्निधान सन्ना वार्षिकी देया । अर्थात् सामान्यतः सौ पण पर सवा पण ब्याज प्रति माह लिया जाना चाहिए । इसी सौ पण पर व्यापारी लोगों से पाँच पण, जंगल में रहने या वहाँ व्यापार करनेवाले से दस पण और समुद्र के व्यापारियों से बीस पण ब्याज लेना चाहिए । इससे अधिक ब्याज लेनेवाले से प्रथम साहसदण्ड लिया

1. अनुवाद अंक 20-21, अप्रैल-सितम्बर 1997 में प्रकाशित डॉ. पूरनचन्द टण्डन का लेख 'बैंकों की कार्य पद्धति में अनूदित हिन्दी का स्वरुप' पृ.141

जाए । जिन्होंने गवाही दी हो, उन्हें आधा दण्ड दिया जाए । यदि ऋण देनेवाले धनिक और ऋण लेने वाले धारणि के आपसी सौदे पर राज्य की भलाई भी होती हो तो सरकार को उनके चरित्र पर निगरानी रखनी चाहिए । यदि अन्न संबंधी ब्याज फसल के समय चुकता करना हो तो वह मूलधन की आधी रकम से अधिक नहीं होना चाहिए । गोदाम में इकट्ठे हुए माल पर उसके लाभ का आधा ब्याज होना चाहिए । लेन-देन का हिसाब-किताब वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए ।[1] इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज व्यवस्था में जिस किसी भी रूप में बैंक व्यवस्था तो थी ही । भगवान श्रीकृष्ण के समय और शायद उससे भी पहले समाज में पिछड़े लोगों की सहायता के लिए मनुष्य अपनी आय का कुछ हिस्सा किसी एक जगह पर दिया करते थे । शायद यह जगह मंदिर संस्था हो सकती है । प्रत्येक मनुष्य अपनी आय का कुछ हिस्सा अवश्य ही देता था । गीता में भी इसका उल्लेख है -

"इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ।।

अर्थात् यज्ञ के द्वारा संतुष्ट देव तुम्हें इच्छित भोग देंगे, परन्तु उनके द्वारा दिए भोग उन्हें समर्पित किए बिना जो स्वयं भोगता है वह निश्चय चोर है ।"[2]

अतः प्राचीनकाल से ही बैंक व्यवस्था का स्वरूप तो था ही । आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य की देन है । ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी की शुरूआत में बम्बई और कलकत्ता में दो एजेंसी हाउसों की स्थापना कंपनी को ऋण उपलब्ध कराने और कागजी मुद्रा जारी करने के उद्देश्य से की । ये एजेन्सी हाउस जनता की जमा राशि से अपना बैंकिंग व्यवसाय चलाते थे । बाद में, कम्पनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त किए जाने पर इन एजेन्सी हाउसों को भी बंद कर दिया गया तथा सन् 1770 ई. में इन दोनों एजेन्सी हाउसों को मिलाकर पहला यूरोपीय बैंक 'द बैंक ऑफ हिन्दुस्तान' स्थापित किया गया ।[3] धीरे-धीरे गिरते-पड़ते बैंकों का विकास होता गया । अनेक बैंक खुले । बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ । राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रत्यक्ष रूप से राजभाषा अधिनियम 1963 और

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.31
2. श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 3, श्लोक 11
3. अनुवाद भारती, अंक 20-21, जनवरी-जून 2000 में प्रकाशित डॉ. राम गोपाल सिंह का लेख 'बैंकिंग हिन्दी का स्वरूप और अनुवाद' पृ.24

राजभाषा नियम 1979 की परिधि में स्वतः ही आ गए और केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने का दायित्व अन्य सरकारी क्षेत्रों, उपक्रमों आदि की भाँति बैंकों पर भी आया। राजभाषा अधिनियमों, नियमों आदि के अनुपालन के लिए बैंकों में हिन्दी अनुवादकों, हिन्दी अधिकारियों/प्रबंधकों आदि के पद सृजित हुए तथा बैंकों के कामकाज को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी करने के लिए समस्त प्रबंध कर लिए गए और बैंकों में राजभाषा हिन्दी में कामकाज होने लगा ।[1] जबकि इससे पूर्व बैंकिंग कारोबार का सरोकार मुट्ठीभर लोगों का सुख और आराम था । आम जनता बैंकिंग सुविधाओं से कोसों दूर थी । बैंकिंग का समस्त कामकाज केवल अंग्रेजी भाषा में ही होता था । उस समय अनुवादकों की नियुक्तियाँ न के बराबर थीं । कहीं-कहीं बैंक के आंतरिक कामकाज संबंधी साहित्य के अनुवाद-कार्य विषयक कुछ संकेत मिल जाते हैं परन्तु यह अनुवाद कार्य फ़ारसी से हिन्दी, हिन्दी से फ़ारसी एवं अंग्रेजी से फ़ारसी तक ही सीमित था । अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य बहुत कम था । शेरशाह सूरी ने अपने काल के सिक्कों पर द्विभाषिक-स्थिति (फ़ारसी-हिन्दी) की स्वस्थ परंपरा शुरू की थी, जो कुछ उथले और कुछ गहरे रूप में परवर्ती मुगल बादशाहों के शासन काल तक परसती चली गई । कई नियमों, विनियमों, अनुदेश पुस्तिकाओं एवं प्रलेखों का फ़ारसी से हिन्दी एवं अंग्रेजी से फ़ारसी में अनुवाद किया गया । चूँकि बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेजों से विरासत में मिली थी, अतः स्वाभाविक ही है कि जनता के साथ लेन-देन संबंधी साहित्य एवं बैंक का आंतरिक कामकाजी साहित्य अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध था । 18 जनवरी 1969 तक बैंकिंग साहित्य को अनूदित करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।[2] परन्तु सन् 1975 के आस-पास बैंकों के प्रधान कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों में राजभाषा प्रभाग एवं राजभाषा कक्ष स्थापित किए गए। हालाँकि 1975 से 1980 तक के समय दौरान नियुक्त किए गए अधिकांश अधिकारी अंग्रेजीविद् अथवा बैंकिंग-कार्यविद् तो थे परन्तु राजभाषा हिन्दी का उनका ज्ञान परिपक्व नहीं था । सन 1980 के बाद विधिवत्

---

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.34
2. अनुवाद अंक 102-103, जनवरी-जून 2000 में प्रकाशित डॉ. अमर सिंह वधान का लेख 'बैंकों में अनुवाद की परंपरा और और विकास' पृ.118

राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकी और 1987-88 तक अधिकांश बैंकों के मंडल कार्यालयों में राजभाषा अनुभागों को खोला गया ।[1]

तत्पश्चात बैंकों में धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग बढ़ा क्योंकि अनपढ़, गरीब, पिछड़े, कृषक और आम आदमी के लिए बैंक सुविधा उपलब्ध हो सके । भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग साहित्य के अनुवाद कार्य को सुगम बनाने हेतु 'पदनाम शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) तैयार की । इसके अलावा बैंकिंग की अनुवाद प्रक्रिया में अंग्रेजी-हिन्दी बैंकिंग शब्दावली - भारतीय रिजर्व बैंक, हिन्दी-अंग्रेजी बैंकिंग शब्दावली - भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यालयिन शब्दावली - भारतीय रिजर्व बैंक, प्रशासनीय व विविध शब्दावली - डिक्शनरी पब्लिशिंग हाउस - अजमेर, वाणिज्य शब्दावली - केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, कृषि शब्दावली - केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय आदि शब्दावलियाँ महत्त्वपूर्ण हैं । इसके अलावा 'बैंकिंग शब्दावली' नामक पुस्तक में जहाँ एक ओर बैंकिंग की विशिष्ट अभिव्यंजना एवं अर्थछायाओं वाले उल्लेखनीय एवं बहुप्रयुक्त शब्दों को परिभाषित किया गया है । वहाँ दूसरी ओर हिन्दी-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली है । बैंकिंग संक्षिप्तियों, विभाग व कृषि, सुरक्षा पदनाम कम्प्यूटर तथा विधि शब्दावली का भी सुव्यवस्थित रूप से समावेश किया गया है । 'बैंकिंग हिन्दी पत्राचार : स्वरूप एवं संप्रेषण', 'बैंकों में हिन्दी प्रशिक्षण : प्रबंध एवं पाठ्यक्रम', 'बैंकिंग अनुवाद प्रविधि और प्रक्रिया', 'बैंकिंग टिप्पण एवं आलेखन' आदि भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं ।[2] साथ ही ऐसी पुस्तकों की जरूरत महसूस की जाती रही है जो बैंक कर्मियों को हिन्दी के प्रयोग के बारे में व्यापकता से परिचित करा सकें ऐसी पुस्तकें जो हिन्दी अधिकारियों और भाषाविदों के लिए नहीं बल्कि कर्मिकों के लिए लिखी गई हों ।[2] बैंकिंग वाङ्मय सीरीज़ की कृतियाँ यथा - बैंकिंग शब्दावली, बैंकिंग हिन्दी पत्राचार: स्वरूप एवं संप्रेषण, बैंकों में हिन्दी प्रशिक्षण: प्रबंध एवं पाठ्यक्रम, बैंकिंग अनुवाद: प्रविधि और प्रक्रिया, बैंकिंग टिप्पण एवं आलेखन आदि इस दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतिफल है ।[3]

---

1. अनुवाद अंक 91-92, अप्रैल-सितंबर 1997 में प्रकाशित डॉ. पूरनचंद टंडन का लेख 'बैंकों की कार्य पद्धति में अनूदित हिन्दी का स्वरूप' पृ.143
2. अनुवाद भारती, अंक 22-23, जुलाई-दिसंबर 2000 में प्रकाशित डॉ. मधु संधु का लेख - 'बैंकिंग व्यवस्था का हिन्दीकरण : सीमा और उपलब्धि' पृ.38
3. बैंकिंग अनुवाद : प्रविधि और प्रक्रिया, डॉ. ऑम निश्चल, गुमानसिंह की भूमिका से

इस प्रकार आज बैंकों में अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्दों को लिप्यंतरण, शब्दानुवाद, वाक्यांशों, शब्द प्रयोजन, विशिष्ट संकल्पना के लिए शब्दानुवाद की जगह भावानुवाद, हिन्दी की प्रकृति के अनुसार वाक्यों का प्रयोग करके बैंकों की सामग्री का अनुवाद किया जा रहा है । अतः बैंकिंग हिन्दी एक स्वतंत्र प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है और इस प्रयुक्ति क्षेत्र की अपनी स्वतंत्र पारिभाषिक शब्दावली है ।

7.4.5 पत्रकारिता और अनुवाद :

आधुनिकता की विशिष्ट उपलब्धि है - पत्रकारिता । पत्रकार होने की अवस्था, पत्रकार का काम और पत्रकारों के कार्य, कर्तव्यों, उद्देश्यों आदि के विवेचन से संबंधित विषय पत्रकारिता है । यह एक समसामयिक इतिहास है जो शीघ्र लिखा जाता है । दैनिक क्रम में घटनेवाली प्रत्येक घटना का रहस्योद्घाटन पत्रकारिता द्वारा किया जाता है । अनुवाद के संदर्भ में पत्रकारिता एक स्वतंत्र विधा है जिसे अनुवाद विधा से पृथक पाया जा सकता है । परन्तु भारत में कार्यरत पत्रकारों की मजबूरी है कि उन्हें अधिकांशतः अनुवाद ही करना रहता है । इसका कारण है कि हिन्दी, क्षेत्र के सत्ता केन्द्रों में कामकाज की भाषा होने की वजह से सूचना माध्यमों पर अंग्रेजी का प्रभाव इतना अधिक है कि सामान्यतः हिन्दी पत्रकार विदेशी भाषा के अनुवाद, विदेशी भाषा का अनुसरण और यहाँ तक कि विदेशी भाषा के छिछोलेपन से बच नहीं सकता ।

हालाँकि पत्रकार को एकाधिक भाषाओं का ज्ञान होना अपेक्षित होता है, परन्तु भारतीय संदर्भ में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता में अनुवाद का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । पत्रकार को अंग्रेजी का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि अभी तक भाषायी पत्र 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया', 'यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया' जैसी अंग्रेजी समाचार एजेन्सियों पर निर्भर है । ट्यूटर आदि विदेशी समाचार एजेन्सियाँ भी अंग्रेजी के माध्यम से ही समाचार देती हैं । इसके अलावा भाषायी पत्रिकाओं को भी बहुत-सी रचनाएँ, लेख, फ़ीचर आदि अंग्रेजी में ही प्राप्त होते हैं । इन रचनाओं, लेखों, फ़ीचर आदि का अनुवाद करके ही प्रकाशित किया जाता है । इनके अनुवाद की व्यावहारिक समस्या शीघ्रता की है । संसद के वाद विवाद की सामग्री शाम को ही पहुँचती है ।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार आधी रात तक टेलिप्रिंटर पर आते रहते हैं । ध्यानपूर्वक उन सबका चयन और अनुवाद करना पड़ता है । जब सारी दुनिया सोती है तब समाचारपत्र कार्यालय के सहायक संपादक अनुवाद व संपादन में उलझे रहते हैं ।[1] ऐसी स्थिति में अनुवाद कभी-कभी हास्यास्पद भी हो जाता है ।

हिन्दी भाषा में पत्रकारिता के उद्‌भव और विकास के संदर्भ में कहा जाए तो भारत में हिन्दी पत्रकारिता का पहला सप्रमाणित समाचार पत्र 'उदन्त मार्तन्ड' है जिसे कानपुर निवासी पंडित युगलकिशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता के कोल्हूटोला के अमड़ताला के मकान संख्या 37 से निकाला था । उदन्त मार्तन्ड से आरंभित हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास काल-विभाजन की दृष्टि से - उदयकाल (1826-1867), भारतेन्दुकाल (1867-1900), तिलक या द्विवेदीकाल (1900-1920), गांधीकाल (1920-1947) और स्वातंत्र्योत्तर काल (1947 के बाद) के बीच है ।[2] इन सभी कालों में हिंन्दी भाषा धीरे-धीरे अपना विकास अनुवाद के माध्यम से कर रही थी । विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता अपना स्थान कायम करती जा रही थी । इन क्षेत्रों में 1882 में प्रकाशित 'बाल दर्पण' से बाल पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ । उसके बाद 'आर्यबाल हितैषी' (1902) 'बालसखा' (1917), 'बालक' (1956), 'चुन्नू-मुन्नू', 'गुड़िया', 'वानर', 'मनमोहन', 'शिशु', 'बच्चों की दुनिया', 'बच्चों का अखबार', 'पराग', 'नन्दन', 'बालभारती', 'मुकुल', 'जीवन' 'राजाबेटा', 'बालमानस' आदि अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं ।[3]

खेल पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, वाणिज्य पत्रकारिता, कार्टून पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता आदि के क्षेत्र बहुत व्यापक हो गए हैं । अन्य भाषाओं की पत्रकारिता की तुलना में भारत में हिन्दी पत्रकारिता ने खूब उन्नति की है । भारत सरकार के पत्र-पत्रिका पंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में समाचार-पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी के पत्र पत्रिकाओं की संख्या सर्वाधिक है । हिन्दी में कुल 5912 पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं जिनमें दैनिक (2004), द्वि/त्रि साप्ताहिक (122),

---

1. अनुवाद कला, पृ.76
2. अनुवाद भारती, अंक 16-17, जनवरी-जून 1999 में प्रकाशित डॉ. राम गोपाल सिंह 'मुद्रण माध्यम : समाचार पत्र-पत्रिकाएँ', पृ.4
3. वही, पृ.13

साप्ताहिक (7799), पाक्षिक (2439), मासिक (2628), त्रैमासिक (474), द्वैमासिक / अर्द्धमासिक (155) तथा वार्षिक (26) पत्र पत्रिकाएँ शामिल हैं ।[1]

हिन्दी भाषा में पत्रकारिता के शुरु होते ही विभिन्न भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद भी होने लगे थे । समाचारों के साथ-साथ पाठकों के लिए रोचक धारावाहिक भी छपने लगे । इन धारावाहिकों में सुप्रसिद्ध कहानियों, उपन्यासों आदि के अंशों के अनुवाद भी छपने लगे । धीरे-धीरे हिन्दी भाषा जनभाषा बनकर अपनी समृद्धि की ओर बढ़ने लगी ।

7.4.6 खेलकूद की भाषा और अनुवाद :

आज खेलकूद पर अधिक ध्यान दिया जाता है । क्योंकि खेलकूद व्यावसायिक हो गए हैं । रोजगारी का उत्तम साधन बन चुके हैं । इसलिए खेलकूदों में स्पर्धा होने से उत्तम खिलाड़ी आर्थिक परिस्थिति कमजोर होने के कारण अपनी गली तक ही खेलकर संतोष मना लेता है, जबकि सामान्य खिलाड़ी 'तिकड़म' लगाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच जाता है । अत: "पढ़ोगे, लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब" की उक्ति जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी थी उसे आज आग लगा दी गई है । खेलकूद आज एक उत्कृष्ट कैरियर बन चुका है । खिलाड़ी समाज में विशिष्ट मान-सम्मान पा रहे हैं । खेलों की वजह से देशों में भी स्पर्धा व परस्पर मैत्री की भावना जागृत हुई है ।

भारत में बहिरंग खेलों में हॉकी, फुटबॉल, दंगल-कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, तैराकी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, दौड़ आदि, घरेलू खेलों में शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस आदि तथा विदेशी खेलों में क्रिकेट, बास्केट, बॉल, बैडमिन्टन, टेनिस, जूडो-कराटे आदि लोकप्रिय हैं । इन खेलों ने अंतर्राष्ट्रीय धरातल प्राप्त कर लिया है । इनका आँखों देखा हाल आकाशवाणी से प्रसारित किया जाता है और दूरदर्शन, विभिन्न चैनलों आदि से सीधा प्रसारण किया जाता है । अत: अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है । रेडियो, चैनलों व दूरदर्शन से सीधा प्रसारण होने से दुभाषिए से काम निकल जाता है परन्तु समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए अनुवाद कर्म की आवश्यकता रहती है ।

चूंकि खेलों में अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं अत: विदेशी खेलों के इन पारिभाषिक शब्दों को हिन्दी में अपनाना ही पड़ता है या उनके योग्य शब्द

1. अनुवाद भारती, अंक 16-17, जनवरी-जून 1999 में प्रकाशित डॉ. राम गोपाल सिंह का लेख 'मुद्रण माध्यम : समाचार पत्र पत्रिकाएँ', पृ.19

गढ़ने पड़ते हैं । खेलकूद की भाषा में मूल शब्दों, अनूदित शब्दों, अर्ध अनूदित शब्दों आदि का भरपूर प्रयोग किया जाता है । जो खेल विदेशों से लोकप्रिय होते-होते भारत में आए हैं उनमें विदेशी पारिभाषिक शब्द भी पर्याप्त मात्रा में हैं जिन्हें यथावत् अपना लिया गया है । जैसे - क्रिकेट में विकेट, पीच, बेटपीच, स्लिप, गली, मिडोन, मिडविकेट, फाइनलैग, विकेटकीपर, हुक, बाउन्स, कट, स्क्वैर कट, ड्राइव, पुल आदि, टेनिस में सिंगल, डबल, विन, स्टार, फिट आदि, फूटबोल में गोल, फॉर्म, पैनल्टी कॉर्नर, वॉक आऊट, फ्री हिट, फ्री किक आदि । विदेशी शब्दों के लिए हिन्दी में खेलकूद की भाषा में अनुवाद भी हुए हैं जैसे - 'इनिंग' के लिए 'पारी', 'ड्रो' के लिए 'अनिर्णित पारी', 'बेट्समेन' के लिए 'बल्ले बाज', 'ऑपनिंग बेट्स मेन' के लिए 'सलामी बल्लेबाज', 'फिल्डिग' के लिए 'क्षेत्र रक्षण' आदि ।

खेलकूद की भाषा भी एक प्रयुक्ति है । विशिष्ट प्रयोजनमूलक क्षेत्र होने से पारिभाषिक, अर्द्ध पारिभाषिक शब्दावली, प्रयोग एवं भाषा शैली की दृष्टि से खेलकूद की हिन्दी भाषा अपनी स्वतंत्र पहचान बना चुकी है तथा खेलकूद की भाषा के रूप में प्रचलित हो गई है । खेलकूद मनोरंजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण भाषा की वाक्य रचना चटपटी, चलताऊ एवं मुहावरेदार बन गई है । चूँकि खेल का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है अत: संबंधित खेल की विशिष्ट शब्दावली बार-बार आकर कॉमेन्टेटर की लच्छेदार भाषा में घुल-मिलकर जानदार भाषा बन जाती है ।[1] जैसे - "शोर्ट पीच गेंद को ड्राइव कर दिया... गोली की रफ्तार से बाउन्ड्री लाइन के बाहर गेंद चार रन के लिए... कोई मौका नहीं ।" इस तरह के चयनित शब्दों, वाक्यों में सारी बात व्यक्त करने की भारी क्षमता होती है ।

इस प्रकार खेलकूद की भाषा हिन्दी ने अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर ली है और एक स्वतंत्र प्रयुक्ति के रूप में विकसित होकर अपनी एक अहम जगह बना ली है । खेल बुलेटिनों का प्रसारण, विभिन्न खेल पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि के विकास के साथ खेल का तो विकास हुआ ही है भाषा का भी विकास सधा है ।

7.4.7 वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी साहित्य और अनुवाद :

विश्व की अधिकांश भाषाओं को विकसित होने में बहुत अधिक समय लगा और वे साहित्य सृजन द्वारा समृद्ध हुई हैं । शब्दकोश बनाकर कोई भाषा

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.59

सम्पन्न नहीं हो सकती । प्राचीन भारत मुग़लों के आगमन से पहले दर्शनशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र आदि के क्षेत्र में सबसे आगे था । इन क्षेत्रों की विपुल शब्द सम्पदा हमारी धरोहर थी । परन्तु परतंत्रता की अवधि में शासक की संस्कृति और सभ्यता को अपनाने से धीरे-धीरे हम अपनी विरासत को भूल गए । और पाश्चात्य वैज्ञानिक विचारों, सिद्धान्तों और शब्दावली को भारतीय भाषाओं में रूपान्तरित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी ।

किसी भी वाङ्मय को दो क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं : शास्त्रीय वाङ्मय और साहित्यिक वाङ्मय । शास्त्रीय वाङ्मय अर्थात् ज्ञानात्मक या सूचनात्मक साहित्य । शास्त्रीय वाङ्मय के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य आता है । वैज्ञानिक साहित्य में भौतिकी, गणित, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान, नृविज्ञान, प्राणी-विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कृषिशास्त्र, यांत्रिकी, वनस्पतिविज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, राजनीति, विधि, समाजशास्त्र आदि का समावेश होता है जबकि तकनीकी विषयों के अंतर्गत प्रशासनिक नियमावली, संसदीय विधि, दस्तकारी, पत्रकारिता, काव्यशास्त्रीय चिंतन, सौंदर्य शास्त्र, कला शास्त्र (चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला, स्थापत्य कला) कार्यालयी भाषा आदि आते हैं ।[1]

एशिया के सबसे विशाल देश की हैसियत से भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करना अब अनिवार्य हो गया है । स्वतंत्र भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है । अत: पाश्चात्य देशों में हो रही खोजों, नए-नए आविष्कारों से भारतीय जनता को अवगत कराने के लिए अनुवाद का सहारा अति आवश्यक है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सारे देशों का योग रहा है । इसका प्रारंभिक विकास पूर्व में हुआ था । अरबों ने इसे यूरोप पहुँचाया । यूरोप में 13वीं सदी से ही शिक्षा प्रचार का गंभीर प्रयास चला था । उसी सदी में पैरिस, ऑक्सफोर्ड, पादवा, नेपिल्स आदि विश्वविद्यालयों की शुरूआत हुई । 15वीं सदी से यूरोपीय वैज्ञानिकों की उज्जवल परम्परा शुरू हुई । पूर्व के देशों में भारत ने विज्ञान-तत्वों के प्रकाशन में नेतृत्व किया था । अनुवादों में कई औषधियों का उल्लेख किया गया । वेदों ने सोना जैसी धातुओं की चर्चा में रसायन-विज्ञान के बुनियादी तत्व बताए थे । संख्याओं और दशमलव-

1. अनुवाद सिद्धान्त और व्यवहार, डॉ. मंजुला दास, पृ.46

प्रणाली के आविष्कार के रूप में भारत ने अरब का गणित में पथ-प्रदर्शन किया था। आर्य भट्ट जैसे ज्योतिष-विज्ञानी, सुश्रुत, चरक जैसे आयुर्विज्ञान के आचार्य आदि प्राचीन भारत की विभूति थे। बौद्ध युग में चिकित्सा संबंधी ज्ञान का विकास खूब हुआ था। तंथ समुच्चय जैसे ग्रंथ मंदिरनिर्माण कला के प्रमाण-ग्रंथ हैं जिसमें नाट्यकला में नाट्यशाला निर्माण का विश्लेषण है। अन्य विज्ञानों की चर्चा भी प्राचीन भारतीय ग्रंथराशि में है।[1]

अरबों ने वैज्ञानिक आविष्कारों में अत्यधिक क्षमता पाई। 9वीं सदी में अरब के जबीर इनव हाटयां ने अल्केमी का आविष्कार किया था। गणित, खगोल, आयुर्विज्ञान एवं भौतिकी में अरबों का महत्त्वपूर्ण योगदान था। यूरोप एवं भौतिकी में अरबों का महत्त्वपूर्ण योगदान था। यूरोप में विज्ञान् और प्रौद्योगिकी के विकास में विभिन्न देशों का योगदान है। इताली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैण्ड आदि देशों में विभिन्न युगों में महान आविष्कार हुए। इन देशों के वैज्ञानिकों ने अपने ग्रंथों में तकनीकी भाषा के लिए ग्रीक एवं लैटिन शब्द ही बुनियादी तौर पर स्वीकार किए थे। आधुनिक आयुर्विज्ञान द्वारा 'एलोपैथी' शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक के अलोस (अन्य) और पयोस (पीड़ा) के संयोग से मानी गई है। 'मैडिकल एटिमॉलॉजी' नामक कोश की भूमिका में लिखा है कि अंग्रेजी के मैडिकल सांकेतिक शब्दों में से अधिकांश शब्द ग्रीक से व्युत्पन्न हैं। अरबों से औषधिविज्ञान के बहुत से शब्द लिए गए हैं। फ्रेंच से सीधे परिवर्तित रूप में शब्द ग्रहण किए गए हैं। इताली, डच, फ़ारसी और चीन के भी शब्द इन शब्दों में प्राप्त होते हैं। अतः अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली शुद्ध अंग्रेजी शब्दावली नहीं है।[2]

अनुवाद के संदर्भ में देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंग्लोर के हिन्दी कक्षा द्वारा 1978 से हिन्दी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 'विज्ञान परिचय' संस्थान की गतिविधियों से जनसामान्य को परिचित कराना, प्रबुद्ध पाठकों को महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विकास की जानकारी देना, समाजकल्याण की दृष्टि से वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रकाश में लाना, व्यापक राष्ट्रीय हित में जनसामान्य के साथ पारस्परिक संपर्क को बनाए रखना तथा वैज्ञानिक और विज्ञानोत्तर समुदायों के बीच मौजूदा अन्तराल को यथासंभव

---

1. अनुवाद अंक 102-103, जनवरी-जून 2000 में प्रकाशित डॉ. एन.ई.विश्वनाथ अय्यर का लेख 'वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक साहित्य का अनुवाद और पद्धति', पृ.58
2. वही।

कम करने के प्रयत्न किए गए हैं । इस पत्रिका के माध्यम से विभिन्न विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिकों के लेख जन-सामान्य तक पहुँचाए जा रहे हैं ।[1] वैज्ञानिक साहित्य को हिन्दी में अनुवाद करते समय वैज्ञानिकों को चाहिए कि वैज्ञानिक शब्दों का उचित पर्याय रखा जाए या सरल शब्द रखा जाए । तभी जनसामान्य तक बात पहुँच पाएगी । डॉ. राम गोपाल सिंह का कहता है कि विज्ञान जागरूक एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क द्वारा प्रेषण एवं सहयोग की सहायता से भौतिक जगत की प्रकृति को समझने का सतत एवं मुक्त प्रयास है । वैज्ञानिक साहित्य की भाषा सुस्पष्ट, सुनिश्चित, सुबोध, वस्तुनिष्ठ, अलंकारितारहित और वैज्ञानिक शैलीयुक्त होती है । अत: वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद करते समय हिन्दी में भी इसी तरह की विशेषताओं को लाना चाहिए जिससे वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद करते समय आनेवाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके । चूँकि वैज्ञानिक साहित्य तथ्य प्रधान होता है अत: वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद की समस्याएँ साहित्यक अनुवाद की समस्याओं से सर्वथा भिन्न होती हैं ।[2]

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में मुख्य समस्या पारिभाषिक शब्दों की होती है । प्रयोग की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं : सामान्य, अर्धपारिभाषिक, पारिभाषिक । अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, फ्रेंच आदि ऐसी कई भाषाएँ हैं जिनमें पारिभाषिक शब्दों का अभाव नहीं है क्योंकि इनके वैज्ञानिक विश्व में अग्रणी हैं । साथ ही इन भाषाओं में वैज्ञानिक ग्रंथ लेखन और अनुवाद की सुदीर्ध परंपरा है ।[3]

भारत में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या को हल करने के लिए शुरूआत से ही विद्वान जूझते रहे हैं । सन् 1707 में 'राजकोश' शब्दकोश के बाद भारतीय भाषाओं में पारिभाषिक शब्द निर्माण का सर्वप्रथम कार्य सन् 1888 में हुआ । तत्वपश्चात् सन् 1889 में 'हिन्दी साइंटिफिक ग्लॉसरि' नामक पारिभाषिक कोश की रचना हुई । सन् 1951 में अ कम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिन्दी डिक्शनरी प्रकाशित हुई । सन् 1950 में भारत सरकार ने वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की तथा सन् 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थाई रूप से गठन किया गया । अत: वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी

1. अनुवाद बोध, सं. डॉ. गार्गी गुप्त, पृ.127 (रतन प्रकाश का लेख)
2. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.24
3. अनुवाद विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.145

साहित्य का अनुवाद करते समय स्रोत भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समकक्ष शब्द यदि लक्ष्य भाषा में न मिलें तो अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार उनका अनुकूलन किया जा सकता है । अन्य भाषाओं के शब्दों को बिना किसी झिझक के अपनी भाषा में ग्रहण करना चाहिए ।[1]

वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में विषय का समुचित ज्ञान अत्यावश्यक है । अभिव्यक्ति प्रधान, शैली-प्रधान या सृजनात्मक साहित्य (जैसे - कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, ललित निबंध आदि) में विषय जैसी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती । अनुवादक को यदि स्रोत भाषा और लक्ष्यभाषा का समुचित ज्ञान है तो वह अनुवाद कर लेता है । परन्तु वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में विषय का ज्ञान अनिवार्यतः आवश्यक है ।[2] यदि विषय का ज्ञान नहीं है तो अनुवाद गलत हो सकता है या कभी-कभी हास्यास्पद भी हो सकता है यथा - 'Atomic plant' 'आणविक पौधा' नहीं हो सकता ।

Show that f(p) = o precisely on A and f(p) = 1 precisely on B.

इसका अनुवाद होगा -

सिद्ध कीजिए कि f(p) = o, A और केवल A पर होगा और
f(p) = 1, B और केवल B पर होगा ।

यहाँ precisely = केवल के संदर्भ में ही नहीं कि
= ठीक-ठीक, परिशुद्ध रूप से या सही-सही ।

इसी प्रकार Let (Sn) be a squence containing all rationals.

इसका अनुवाद होगा

मान लीजिए कि (Sn) सब परिमेय संख्याओं का अनुक्रम है । यहाँ Containing का अर्थ यह नहीं है कि परिमेय संख्याएँ शामिल हैं और उनके अलावा भी कुछ और संख्याएँ हैं ।

अतः वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद करते समय विषय का ज्ञान आवश्यक है । इसके अलावा अनुवाद की भाषा में शैली की स्पष्टता, पूर्णता, सटीकता, सरलता और असंदिग्धता जैसे गुण भी अत्यावश्यक हैं । वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में मूल की सामग्री का पूर्णरूपेण संप्रेषण होना चाहिए न कि रहस्यमय कहानी की तरह कुछ भी अनकहा छोड़ दिया । वैज्ञानिक साहित्य

1. अनुवाद विज्ञान, स्वरूप और समस्याएँ, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.110
2. अनुवाद विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.145

के अनुवाद की भाषा अभिधा प्रधान होनी चाहिए न कि लक्षणा और व्यंजना से भरपूर । एक शब्द का विषयानुकूल एक ही अर्थ होना चाहिए । यथा - रसायन विज्ञान में H_2o को पानी कहते हैं तो इसे नीर कहना हास्यास्पद होगा। डॉ. तिवारी कहते है कि पुराने जमाने में भारत, अरब तथा यूरोप में वैज्ञानिक साहित्य पद्य में भी लिखा जाता था। हिन्दी में मध्यकाल की अनेक पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो ज्योतिष, चिकित्सा आदि का विवेचन छन्दों में करती हैं। आधुनिक काल में लोगों का ध्यान छन्दबद्धता या साहित्यिक शैली की असुविधा की ओर गया और रॉयल सोसायटी ने इसके विरूद्ध आवाज उठाई और इस बात को बल के साथ प्रचारित किया कि वैज्ञानिक साहित्य की भाषा सरल, स्पष्ट तथा असंदिग्ध होनी चाहिए तथा उसे गद्य में लिखा जाना चाहिए ।[1]

आज वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद में तीव्रता आई है । परन्तु प्रादेशिक भाषाओं में ऐसे अनुवाद नगण्य हैं । फिर भी लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन, जापानी आदि भाषाओं में लिखित वैज्ञानिक साहित्य अब धीरे-धीरे हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध हो रहे हैं । परन्तु विकसित देशों की तुलना में ये अनुवाद बहुत ही कम हैं ।

7.4.8 विज्ञापन की भाषा और अनुवाद :

विश्व बाजार का आधार है विज्ञापन । आज हर वस्तु पर लागत कींमत की आधी से भी अधिक कींमत विज्ञापन पर खर्च होती है । जितना अधिक विज्ञापन उतनी अधिक बिक्री । हालाँकि "विज्ञापन मूलतः राजनैतिक अर्थशास्त्र का हिस्सा है ।"[2] "आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग के साथ-साथ वैज्ञापनिक युग भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी ।"[3]

कॉलगेट डेन्टल क्रीम से दिन की शुरूआत होती है और मच्छर अगरबत्ती से दिन पूरा हो जाता है । हम इस तरह विज्ञापनों से घिरे हुए हैं । जीवन के हर पहलु को आज विज्ञापन का नशीला स्पर्श हुआ है । वस्तु के नाम का पर्याय आज उत्पादक कम्पनी का नाम हो गया है । "मम्मी, मैंने 'कॉलगेट' कर ली । अब नास्ता दे दो ।" "इन पृष्ठों की 'ज़ेरोक्स' कर दीजिए ।" यहाँ फोटोकॉपी करने की मशीन बनाने वाली कम्पनी का नाम

---

1. अनुवाद विज्ञान, डॉ. भोलानाथ तिवारी, पृ.148
2. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.45
3. हिन्दी भाषा की सामाजिक संरचना, पृ.127 (आशा पांडे का लेख - विज्ञापन की भाषा)

'ज़ेरोक्स' है । इन कंपनियों के विज्ञापन इतने शक्तिशाली हैं कि उपभोक्ता की दिनचर्या में सहजरूप से शामिल हो गए हैं । विज्ञापन के माध्यम से उत्पादक की वस्तु गाँव के अंतिम मनुष्य तक पहुँच जाती है । कभी-कभी विज्ञापन के असर से पिछड़े गाँव का व्यक्ति भी उठकर कंपनी तक आ पहुँचता है । इस प्रकार सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक उत्पादक कंपनी को पहुँचने के लिए लुभावनी, आकर्षक भाषाशैली से भरपूर विज्ञापन की आवश्यकता रहती है । विभिन्न माध्यमों के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं ।

विज्ञापन कला का विकास इंग्लैण्ड में हुआ तथा आधुनिक विज्ञापन कला का विकास अमेरिका में हुआ । सन् 1840 से 1915 का समय अमेरिका में आधुनिक विज्ञापन की शुरूआत माना जाता है । पहली विज्ञापन एजेन्सी भी अमेरिका में ही बनी थी । 1800 ई. के आसपास अमेरिका में ब्रांड की अवधारणा पनप चुकी थी जिसमें उत्पादों को एक दूसरे से अलगाने के लिए अलग-अलग नाम दिए जाने लगे और उनके लिए अलग-अलग प्रतीक चिह्न और पेकिंग बनने लगे । और यहीं से ब्रांड पैदा हुआ और उत्पाद ब्रांड के नाम से बिकने लगा । ब्रांड पेकिंग में बँधकर साफ-सुथरेपन की निशानी पा गया और गुणवत्ता से भी उसकी साठ-गाँठ हो गई और अब ग्राहक वस्तु की बजाय ब्रांड की माँग करने लगे । ऐसे माहौल में विज्ञापन एजेन्सियाँ खुलनी लगीं ।[1]

माध्यम की दृष्टि से विज्ञापनों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है यथा - (1) दृश्य माध्यम (2) श्रव्य माध्यम और (3) दृश्य-श्रव्य माध्यम ।

दृश्य माध्यम में पत्र-पत्रिकाएँ, पोस्टर, स्लाइड्स आदि आते हैं । जिनमें विज्ञापनों को केवल देखा पढ़ा ही जा सकता है । श्रव्य माध्यम में रेडियो, ऑडियो कैसेट, फेरीलगानेवाले आदि हैं । जबकि दृश्य-श्रव्य माध्यम विज्ञापन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है । इसमें विज्ञापनों को देखा, सुना और पढ़ा जा सकता है। दूरदर्शन, चैनल, वीडियो चैनल आदि इसके सशक्त माध्यम हैं ।

भाषा के संदर्भ में विज्ञापन की भाषा आधुनिक एवं मानक होने के साथ-साथ जीवंत भी होती है । यह भाषा आकर्षक, स्मरणीय, पठनीय, व्यावसायिक रूप से सशक्त होती है । इसके साथ-साथ प्रो.एस्.आर.डावर के अनुसार "विज्ञापन की भाषा में निम्नलिखित गुण आवश्यक हैं : ध्यानाकर्षण -

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.46

सुझाव तत्त्व - स्मरणीयता - विश्वसनीयता - भावात्मकता - शिक्षणात्मकता - प्रवृत्तिगत तत्त्व ।"[1]

ध्यानाकर्षण -

For the rebel in you ! (Oswal)

आओ छा जाओ !

Great news, No leaks ! (Novino)

ज़ोरदार ख़बर, लीक का नहीं डर !

Feel the picture (Bush)

एक जीवंत एहसास

सुझाव तत्त्व -

क्या आपके घर में है ? (मूव)

ताऊ, एक रूपए की चाय कम पी लेना

लेकिन नमक तो टाटा का ही लेना

स्मरणीयता -

Introducing shoe cream supreme (cherry)

पेश है शू-क्रीम, बेहतरीन

Live Life kingsize (Four square)

लिव लाइफ किंग साइज़

विश्वसनीयता -

Only Vimal ! (Vimal)

ऑन्ली विमल !

Neighbour's envy, Owner's pride (Ondia)

पड़ौसियों की जले जान, आपकी बढ़े शान !

You just cann't beat a bajaj ! (Bajaj)

हर दौड़ में बेजोड़ बजाज !

If you like being watched ! (Elpar)

जिधर से गुजरें, पीछा करें नज़रें !

You have got a good thing Going ! (Hero Honda)

आपका शानदार हम सफर !

The Great Indian Spirit ! (Bajaj Auto)

---

1. प्रयोजनमूलक भाषा और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, में प्रो. एस.आर. डावर के उद्धरण से पृ.48-49

बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर !

इस प्रकार विज्ञापन के अनुवाद में शब्दों या वाक्यों का शाब्दिक अनुवाद नहीं किया जा सकता । जैसे

You just cann't beat a bajaj ! का शाब्दिक अनुवाद अटपटा हो जाएगा । इसी तरह

Virtually indestructible ! (Pumaply) का वस्तुतः अविनाशी न करके 'जीवन भर साथ निभाए !' किया गया है । विज्ञापन की भाषा के अनुवाद में 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' रखकर अनुवाद नहीं किया जा सकता बल्कि भावानुवाद किया जाना चाहिए । और इसी तरह के अनुवाद आज हो रहे हैं । जिससे हिन्दी भाषा में विज्ञापन क्षेत्र की अपनी एक स्वतंत्र प्रयुक्ति पनप चुकी है । इसका विज्ञापन क्षेत्र के विकास के साथ-साथ विकास भी हो रहा है ।

7.4.9 संसदीय साहित्य और अनुवाद :

राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सामूहिक रूप को संसद कहते हैं । भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को महत्त्वपूर्ण स्थान है । संविधान के अनुसार संघ स्तर पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है । इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियम पारित किए जाते हैं। यह समूचा संसदीय कार्य अंग्रेजी में होता है तथा सभी केन्द्रीय कानून मूल रूप से अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं और बनाए जाते हैं । अनुच्छेद 343(1) में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित करने के बाद अनुच्छेद 345 में संसद तथा राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार दिया गया कि वे हिन्दी को अपने-अपने राज्यों की राजभाषा के रूप में अपनाएँ । डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी का कहना है कि - "वास्तव में मूल रूप से संसदीय कार्य हिन्दी में करना असंभव-सा था, अतः अनुवाद की आवश्यकता महसूस की गई । बाद में यह भी अनुभव किया गया कि हिन्दी पाठ को भी प्राधिकृत पाठ माना जाए । अतः राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5(2) में यह व्यवस्था की गई कि विधेयक आदि के अंग्रेजी पाठ के साथ उसका प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद भी दिया जाएगा । इस प्रकार संसद में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी अनुवाद का महत्त्व भी बढ़ गया ।"[1]

---

1. अनुवाद भारती अंक 20-21, जनवरी-जून, 2000 में प्रकाशित डॉ. कृष्मकुमार गोस्वामी का लेख - 'संसदीय साहित्य का अनुवाद' पृ.44

संसद में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग हो रहा है और इन दोनों भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य किया जाता है । संसदीय वाद-विवाद, संसदीय प्रश्नोत्तर, कार्यसूची, बुलेटिन, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन विधेयकों और संकल्पों, संशोधनों, संसदीय पुस्तक-पुस्तिकाओं आदि को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में साथ-साथ तैयार और प्रकाशित किया जाता है । साथ ही संसद में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, प्रतिवेदनों आदि के अनुवाद की प्रविधि भी एक-सी नहीं है । कहीं भावानुवाद करना होता है, कहीं शब्दानुवाद की आवश्यकता होती है तो कहीं सारानुवाद और छायानुवाद तो कहीं लिप्यन्तरण करना होता है कहीं भाषान्तरण । विषय, समय और उपयोगितानुसार अनुवाद का स्वरूप बदलता रहता है ।

संसद में संसद सदस्य अधिकांशत: हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी बात कहते हैं जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 15 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है । हिन्दी या अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य किसी भाषा में यदि कोई संसद सदस्य अपनी बात कहना चाहता है तो उसे अध्यक्ष को उसकी सूचना आधा घंटा पूर्व देनी होती है जिससे कि तत्काल भाषान्तरण का प्रबंध किया जा सके ।

संतोष खन्ना लिखते हैं कि - संसदीय गरिमा के अनुरूप अनुवाद होना चाहिए । संसद की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप एक विशेष सम्बोधन शब्दावली है यथा - 'Hon'ble speaker, Sir' का 'मानवीय अध्यक्ष महोदय', 'I call now Shri Lalu prasad Yadav' का 'अब मैं श्री लालुप्रसाद यादव को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ ।' संसद सदन में कई बार अनेक सदस्य एक साथ बोलते हैं ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय कहते हैं - 'Order Order' इसका अनुवाद 'आदेश, आदेश' न होकर 'कृपया शान्त रहें' या 'व्यवस्था बनाए रखें' अनुवाद किया जाता है । कभी-कभी अध्यक्ष कहते हैं - When I am on my legs, you should resume your seat. यहाँ on my legs का अनुवाद 'अपने पैरों पर खड़े' न करके इसका अनुवाद होगा 'जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको बैठ जाना चाहिए ।' 'I will have to name you' इसका अनुवाद 'मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा' न होकर 'मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा' होगा ।[1]

---

1. अनुवाद अंक 102-103, जनवरी-जून, 2000 में प्रकाशित संतोष खन्ना का लेख 'संसद में अनुवाद के विविध आयाम', पृ.172

संसद के कार्य में अल्प सूचना प्रश्नसूची का अनुवाद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । रामनाथ शर्मा का कहना है कि - प्रश्नों के अनुवाद में, चाहे वह अंग्रेजी से हिन्दी में हो या हिन्दी से अंग्रेजी में हो सबसे महत्त्वपूर्ण है प्रश्नकर्ता का नाम । भारत में भाषा की विविधता के कारण एक ही नाम भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखा जाता है, विशेष रूप से अंग्रेजी में, हालाँकि हिन्दी भाषा की यह विशेषता है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण उसी प्रकार किया जाता है, जिस प्रकार कि वह लिखा जाता है । जैसे - 'चौधरी' को अंग्रेजी में अनेक रूप से लिखा पाया गया - Chaudhary, Chaudhari, Chowdhury आदि । Parthi - पार्वती, Gajapathi - गजपति आदि । इसी प्रकार स्थानों के नामों के बारे में भी भ्रांति हो सकती है यथा -

Balasore का बालेश्वर न कि बालासौर

Berhampore का ब्रह्मपुर न कि बेरहामपुर

Monghyr का मुंगेर न कि मोंघयर

Salem का सेलम न कि सलेम

अंग्रेजी में प्रश्नों का स्वरुप प्राय: कर्मवाच्य (Passive voice) होता है, परंतु हिन्दी में यथासंभव कर्तृवाच्य (Active voice) में होता है । यथा -

Whether a memorandum has been received by Government from Delhi Textile Dealers Association ?

इसका हिन्दी अनुवाद होगा - क्या सरकार को दिल्ली टेक्सटाइल डीलर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

यहाँ has been received का अनुवाद "सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है" करने से आभास होता है कि सरकार ने इस संबंध में प्रयत्न किए होंगे ।

संसदीय साहित्य में कई बार कुछ ऐसे शब्द भी आ पड़ते हैं कि जो पर्यायवाची लगते हैं । सामान्यत: ये शब्द चाहे एक ही अर्थ देते हो लेकिन संसदीय भाषा में ये शब्द अलग-अलग स्थितियों और संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं । जैसे -

Deputy Chairman और Vice chairman

यहाँ Deputy Chairman एक पदाधिकारी होता है जिसका राजसभा में निर्वाचन होता है । Chairman सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है । इसे हिन्दी में 'उपसभापति' कहा जाता है । जबकि Vice

chairman कोई विशिष्ट ओर निश्चित पदाधिकारी नहीं होता । दोनों सदनों में किन्हीं चार-पाँच संसद सदस्यों का अलग-अलग पैनल बनाया जाता है । इस पैनल में कोई भी उपस्थित सदस्य लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की तथा राज्यसभा में सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में अपने सदन की अध्यक्षता करता है । यही Vice Chairman कहलाता है जिसे हिन्दी में उपसभाध्यक्ष कहते हैं । इसी तरह Admitted, Adopted और Passed शब्द एक दूसरे के बहुत करीब हैं परन्तु संदर्भ की दृष्टि से तीनों शब्द भिन्न हैं । यथा - जब कभी कोई संसद-सदस्य अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि प्रस्तुत करना चाहता है और उसकी स्वीकृति यदि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति अपने-अपने सदन के लिए देते हैं तो उस प्रस्ताव को 'Admitted' (गृहीत) हुआ मान लिया जाता है । किसी विधेयक के पारित होने से पूर्व उसके पुन:स्थापन तथा उस पर पुन:विचार करने के लिए सदन से स्वीकृति माँगी जाती है तब यह कहा जाता है कि विधेयक पुन:स्थापन तथा विचार के लिए 'Adopted' (स्वीकृत) हुआ । जब विधेयक पर पूरी चर्चा होती है और उस पर मतदान होता है और वह अधिक मतों से स्वीकृत हो जाता है तो उसे 'Passed' (पारित) होना कहा जाता है ।[1] इस प्रकार संसदीय साहित्य अधिकतर तकनीकी साहित्य है । इसलिए एक ही मूल शब्द के लिए भिन्न-भिन्न हिन्दी समतुल्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हिन्दी की प्रकृति के अनुसार अनुवाद किया जाता है । संसदीय अनुवाद आज भी बड़ी तीव्रता से हो रहे हैं । हिन्दी भाषा की स्वतंत्र प्रयुक्ति के रूप में संसदीय भाषा आज आपनी विकासयात्रा में चरमसीमा तक पहुँचने को है ।

7.4.10 जनसंचार माध्यम और अनुवाद :

मनुष्य अपनी बात अन्य तक पहुँचाने के लिए मुख से कहकर काम निकाल लेता है । परंतु उससे सुदूर स्थित स्वजन तक बात कहने के लिए उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है । प्राचीनकाल में पशु-पक्षियों का सहारा लेकर दूर-सुदूर संदेश पहुँचाया करते थे । कुछ आदिवासी लोग तो आज भी ढोल-नगारों के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं । पहले पशु-पक्षियों को सिखा-पढ़ाकर तैयार किया जाता था ।

---

1. अनुवाद भारती अंक 20-21, जनवरी-जून, 2000 में प्रकाशित डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी का लेख 'संसदीय साहित्य का अनुवाद', पृ.46

जिससे वे विश्वसनीय रूप से संदेशों का आदान-प्रदान कर सकें । बंदरों को गुप्त सूचनाएँ आदि के आदान-प्रदान के लिए सबसे विश्वासपात्र माना जाता था । तीतर, हंस, तोता, कबूतर आदि भी संदेशवाहक थे । जिनमें से कबूतर अपना कार्य सबसे यशस्वीपूर्वक करता था । ये सभी पशु-पक्षी संप्रेषण के सशक्त वाहक थे ।

धीरे-धीरे मनुष्य प्रगति करता गया और संप्रेषण माध्यमों का विकास होता गया । संदेशों के आदान-प्रदान से मनुष्य से मनुष्य की भौतिक दूरियाँ घट गई हैं । आज स्थिति यह है कि जिससे विचारों, संदेशों का आदान-प्रदान करना है वह व्यक्ति हमारे पास दिखाई नहीं देता परन्तु कुछ बटनों को दबाते ही उससे बातें की जा सकती हैं । अब तो फोटो भी दिखाई देता है । दुनिया सिमटकर जेब में, मुट्ठी में समा गई है । यह कहना अब बहुत आसान है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है ।

माध्यम की दृष्टि से जनसंचार माध्यम को दो भागों में बाँटा जा सकता है । एक मुद्रण माध्यम और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम । मुद्रण माध्यम में पत्र-पत्रिकाएँ आदि का समावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आकाशवाणी, दूरदर्शन, वीडियो आदि । इतिहास की दृष्टि से प्रिंट मीडिया (मुद्रण माध्यम) पुराना माध्यम है । इसमें पत्रकारिता की भूमिका महत्त्वपूर्ण है । इसमें समाचार पत्र-पत्रिकाओं का समावेश होता है । लोकतंत्र के विकास के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्णरूपेण लाभ उठाकर पत्र-पत्रिकाओं ने अपनी आवश्यकतानुसार द्रुत विकास किया है ।

प्राचीन काल में जब मुद्रण नहीं था तब भी डुगडुगी, शिलालेख, हरकारे आदि के सहारे राजकीय घोषणाएँ की जाती थीं । डॉ. राम गोपाल सिंह का कहना है कि "मौर्य काल में समाचारों के संकलन और उनके वितरण की सुचारु व्यवस्था का उल्लेख मिलता है । मुग़ल शासकों, छत्रपति शिवाजी, नाना फड़नवीस आदि के दरबारों में 'वाक़यानवीस' हुआ करते थे । अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के सिराज़-उल-अखबार को प्रथम एवं अंतिम दरबारी समाचार पत्र माना जाता है । मुग़लों की अंतिम दरबारी डायरी 'उर्दू अखबार' थी जो 1857 तक चलती रही । ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी ढंग पर प्रयास किया था । ईस्ट इंडिया कंपनी के 1758 से भारत की अघोषित शासक बनने के बाद भारत में समाचार पत्रों का प्रारंभ अंग्रेजों द्वारा

अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजों के लिए हुआ । उसके बाद 30 मई 1826 को भारत में हिन्दी पत्रकारिता का प्रथम सप्रमाणित समाचार पत्र 'उदन्त मार्तंड' शुरु हुआ । और फिर आज तक अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाएँ विकसित हुए है ।"[1]

पत्र-पत्रिकाओं को अनुवाद के संदर्भ में लें तो डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी के अनुसार - "जिस तरह समाचार पत्रों के विषय भिन्न-भिन्न होते हैं उसी प्रकार उनकी भाषाएँ भी अलग-अलग होती हैं । समाचार पत्रों के प्रतिनिधि तो उसी भाषा में समाचार भेजते हैं जिस भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होता है । लेकिन समाचार एजेन्सियाँ अपनी ही भाषा में समाचार प्रेषित करती हैं जैसे भारत में चार प्रमुख समाचार एजेन्सियाँ हैं - यू.एन.आई., पी.टी.आई., समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार । इनमें हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती एजेन्सियाँ हिन्दी में और यू.एन.आई. और पी.टी.आई अंग्रेजी में समाचार प्रेषित करती हैं । इनके ग्राहक (समाचार पत्र) इनके समाचारों को अपनी भाषा में अनूदित करके प्रकाशित करते हैं ।"[2]

समाचार पत्रों के अनुवाद में सबसे अधिक समस्या समय की रहती है। चार घंटे के अन्दर एक संस्करण तैयार कर देना होता है । साथ ही विभिन्न विषयों के विभिन्न क्षेत्रों के समाचारों का यथोचित अनुवाद करना होता है । एक ही समाचार पत्र में खेलकूद, विज्ञान, बाजार आदि अनेक क्षेत्रों की सामग्री होती है जिनका अनुवाद बड़ी ही सावधानीपूर्वक किया जाता है । समाचार संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए । दैनिक समाचार पत्र के अलावा साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं के अनुवाद भी विषयानुकूल किए जाने चाहिए । आज हिन्दी भाषा में सैंकड़ों पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रहे हैं । जिससे स्पष्टरूप से देखा जा सकता है कि पत्र-पत्रिकाओं में भाषा की विविधता होने के बावजूद अपनी एक स्वतंत्र छाप बना ली है पत्रकारिता की हिन्दी ने ।

दूसरा माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम । इस माध्यम में आकाशवाणी सबसे पहले आता है । क्योंकि इतिहास की दृष्टि से देखें तो भारत में नियोजित प्रसारण 1936 से शुरु हुआ । इस समय प्रसारण सेवा को 'ऑल इंडिया रेडियो' के नाम से संबोधित किया गया । भारत में प्रथम प्रयास

1. जनसंचार माध्यम और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.12
2. हिन्दी में व्यावहारिक अनुवाद, डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, पृ.159

इंडियन ब्रोडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड के साथ एक सरकारी अनुबन्ध से हुआ जिसके तहत 23 जुलाई 1927 को बम्बई केन्द्र की शुरूआत हुई । उसके बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता केन्द्र, लाहौर में 1928 में, 1935 में पेशावर में, 1935 में मैसूर में, 1939 में बड़ौदा में, 1939 में ही हैदराबाद और औरंगाबाद में, 1936 में दिल्ली में, 1947 में जालंधर और जम्मू में, 1948 में कलकत्ता, कटक, अमृतसर, शिलाँग, गोवाहाटी, नागपुर, विजयवाड़ा इस तरह दूसरी योजना की समाप्ति तक भारत में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या 61 हो गई थी । आज सारे देश में आकाशवाणी का जाल फैला हुआ है ।[1]

आकाशवाणी में भाषा का विशेष महत्त्व है । पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को एकाधिक बार पढ़कर समझा जा सकता है परन्तु आकाशवाणी से प्रसारित बात को पुनः नहीं सुना जा सकता । आकाशवाणी की सीमा चूँकि मौखिक भाषा के साथ सीमित है अत: उसमें केवल वाचिक अभिव्यक्ति का ही स्थान है । आंगिक अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं है । आकाशवाणी की एक और सीमा है कि वक्ता और श्रोता एकदूसरे को देख नहीं सकते जिससे अभिव्यक्ति संप्रेषण के लिए भाषा का सशक्त होना आवश्यक हो जाता है । अर्थात् मौखिक भाषा के जो पहलू-वक्ता श्रोता की भूमिका के माध्यम से अपने संपूर्ण रूप में संप्रेषित होते हैं; वे सभी स्थितियाँ और सुगमताएँ रेडियो माध्यम (आकाशवाणी माध्यम) से संपूर्ण रूप में प्राप्त न होकर आंशिक रूप में ही प्राप्त हो पाती हैं । डॉ. राम गोपाल सिंह के अनुसार "आकाशवाणी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सरलता और स्वाभाविकता से बोली जा सके । आकाशवाणी की भाषा आकर्षक, रमणीय और प्रभावोत्पादक तो होनी ही चाहिए साथ-साथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके बोलने में कठिनाई का अनुभव हो । आकाशवाणी के लिए लिखी गई या अनूदित भाषा का शब्दाडम्बर से मुक्त होना आवश्यक है । आकाशवाणी की भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास करना प्रशंसनीय माना जाता है । इसकी भाषा अतिशय सजावटपूर्ण तथा अलंकारों के प्रचुर प्रयोग से भरी नहीं होनी चाहिए ।"[2]

---

1. अनुवाद भारती अंक 16-17, जनवरी-जून, 1999 में प्रकाशित डॉ. आत्मानन्द का लेख 'आकाशवाणी का विकास', पृ.23
2. जनसंचार माध्यम और अनुवाद, डॉ. राम गोपाल सिंह, पृ.46

डॉ. राम गोपाल सिंह का कहना है कि आकाशवाणी की भाषा के लिए शब्द चयन में सावधानी बरतनी चाहिए । क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से प्राय: बचना चाहिए । क्योंकि श्रोता से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह क्लिष्ट शब्दों के अर्थ को शब्दकोश उठाकर ढूँढे । यदि ऐसा करेहा तो तब तक प्रसारण ही बदल चुका होगा । आकाशवाणी की सामग्री का अनुवाद करते समय या लेखन करते समय शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए जो उच्चारण में सुकर हों । रमणीय, कर्णप्रिय, सरल और प्रभावोत्पादक वाक्य आकाशवाणी की भाषा का मेरूदंड है । वाक्य सरल और छोटे-छोटे हों तो श्रोता को समझने में सरलता रहती है । भाषा की शैली सरल और सहज होनी चाहिए ।"[1]

इस प्रकार आकाशवाणी में भी हिन्दी का समृद्ध स्वरुप स्थित है । आकाशवाणी से प्रसारित हिन्दी आज निखरी हुई है । एक स्वतंत्र प्रयुक्ति के रूप में आकाशवाणी की भाषा प्रवृत्तिमय अपना स्थान बना चुकी है ।

जनसंचार माध्यम का आज सर्वाधिक सशक्त माध्यम है दूरदर्शन । सन् 1959 में यूनेस्को के एक सम्मेलन में भारत में पहली बार दूरदर्शन का उदय हुआ । इसी सम्मेलन से भारत में दूरदर्शन की नींव रखी गई । पहले दूरदर्शन की शुरूआत जनसंचार माध्यम के रूप में एक पायलट परियोजना की स्थापना हेतु किया गया । इस परियोजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों की औपचारिक शिक्षा में सहायता करना तथा जनसामान्य के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार करना था । संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और फिलिप्स कम्पनी की सहायता से आकाशवाणी भवन, दिल्ली में एक लघु दूरदर्शन स्टूडियों की स्थापना की गई । 15 सितम्बर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भारत के प्रथम प्रायोगिक दूरदर्शन केन्द्र का दिल्ली में उद्‌घाटन किया । फिर धीरे-धीरे दूरदर्शन का विकास होता गया और भारतभर में अनेक केन्द्रों की स्थापना होने लगी । आज भारत की जनसंख्या का 90% से भी अधिक हिस्सा दूरदर्शन का आदि हो चुका है ।

दूरदर्शन से प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों में ज्ञान-विज्ञान के कार्यक्रमों के अलावा मनोरंजन से भरपूर अनेक लुभावने कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं ।

1. अनुवाद भारती अंक 16-17, जनवरी-जून, 1999 में प्रकाशित डॉ. राम गोपाल सिंह का लेख 'आकाशवाणी की भाषा और अनुवाद', पृ.26

साथ ही अनेक दर्जनों की संख्या में चैनलों के माध्यम से जनसामान्य अपनी रूचि के अनुसार कार्यक्रमों का आनंद उठा सकता है । भक्ति गीत, ज्ञान-विज्ञान की जानकारी, प्रख्यात व्यक्तिपरिचय, समाचार, अनेक विषयों, कहानी आदि को लेकर विभिन्न धारावाहिक, फिल्मी गीत-संगीत, फिल्म, नाटक आदि अंसंख्य कार्यक्रमों की भरमार है । चौबीस घंटे देखी जा सकें ऐसी अनेक चैनलें हैं । इतनी सारी सामग्री से व्यक्ति अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर रहा है साथ ही तरूणों आदि में इसकी लत लगने से विपरीत परिणाम भी देखे जा सकते हैं ।

भाषा के संदर्भ में दूरदर्शन पर प्रसारित अनेकों कार्यक्रमों में भाषा की विभिन्नता, शैली की विभिन्नता आदि को सहज रूप से अलगाया जा सकता है । साथ ही दूरदर्शन के इन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी भाषा ने अनेक राज्यों की सीमाएँ तो लाँघी ही हैं परन्तु विदेशों तक अपनी पहुँच बना चुकी है । अरब देशों और पाकिस्तान आदि देशों में तो भारतीय चैनलों की विशेष बोलबाला है । इतना ही नहीं दूरदर्शन के कार्यक्रमों के अनुरूप लोग अपना कार्यकलाप बना लेते हैं । दूरदर्शन से प्रसारित 'रामायण', 'महाभारत', आँखें, 'चन्द्रकान्ता' जैसे धारावाहिकों ने तो जनसाधारण को इस तरह जकड़ रखा था कि व्यापार-धंधे इन धारावाहिकों के समयानुरूप खुलते-बंढ होते थे । रास्ते सूने हो जाते थे ।

हिन्दी भाषा के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रीय चैनल के हिन्दी कार्यक्रमों के ढर्रे पर प्रादेशिक चैनलों के कार्यक्रम बन रहे हैं । फिर भी हिन्दी भाषा की विशिष्ट सामर्थ्य ने प्रादेशिक प्रसारण चैनलों के प्रादेशिक भाषा के कार्यक्रमों को पछाड़ दिया है । हिन्दी भाषा की शब्द शक्ति, अभिव्यक्ति सामर्थ्य, शैली की विशिष्टता के कारण प्रादेशिक चैनल चल नहीं पा रहे हैं । हालाँकि प्रादेशिक भाषाओं में भी हिन्दी के शब्दों, हिन्दी की शैली को अपनाया जा रहा है । राष्ट्रीय चैनलों से प्रसारित कार्यक्रम भी उत्कृष्ट होते हैं इस कारण दर्शक वर्ग में हिन्दी भाषा सहज रूप से पहुँच गई है । हिन्दी भाषा की लगभग सभी विधाएँ दूरदर्शन से प्रसारित होती हैं । खेल के सीधे प्रसारण की भाषा, धारावाहिकों की भाषा, समाचारों की भाषा वृत्तचित्रों की भाषा, फिल्मों की भाषा, कार्टून फिल्मों की भाषा आदि अनेक भाषाओं को परस्पर अलगाया जा सकता है ।

दूरदर्शन की भाषा में मौखिक भाषा के साथ-साथ चित्र और संगीत की उपस्थिति के कारण भाषा की अभिव्यक्ति और अधिक सुचारू रूप से

संप्रेषित होती है । यथा - महाभारत धारावाहिक में मामा शकुनी के संवाद में संगीत ने और अधिक जान डाल दी थी । इसी तरह स्ट्रेप्सिल के विज्ञापन में शेर के गले में खरास होने से वह बिल्ली की तरह मिमियाता है और फिर स्ट्रेप्सिल की टेबलेट खाते ही वह पुनः जोर से दहाड़ता है । साथ ही दूरदर्शन की भाषा शैली अत्यंत प्रभावशाली होनी चाहिए । यथा - पान पसंद के विज्ञापन में (पान पसंद नामक चॉकलेट इतनी मीठी होती है कि उसे खाते ही बोली में मिठास आ जाती है - इस भाव को दर्शाने के लिए) बाली और रावण के युद्ध को दर्शाया गया है । रावण के क्रोध के डर से बाली पहाड़ की एक गुफ़ा में छिप जाता है तब रावण अत्यंत क्रोध से उसे युद्ध के लिए ललकारता है कहता है - "बाली ! मैं तुझे ललकारता हूँ गुफा से बाहर निकल" तुरन्त ही रावण के मुँह में आकाश मार्ग से एक पान पसंद चॉकलेट आ जाती है और फिर रावण बड़े प्यार भरे शब्दों में बाली को पुनः ललकारता है, कहता है - "बाली अरे ओ बाली मैं तुझे है न ! ललकारता हूँ, चल गुफ़ा से बाहर निकल राजा बेटे !" किसी एक धारावाहिक में एक हास्य कलाकार हमेशा "ये क्या हो रहा है" कहकर हास्य उत्पन्न कर देता था । यह शैली उस धारावाहिक से बाहर निकलकर आम जनता में आ गई थी । ऑफिसों, स्कूल-कॉलेजों आदि में "ये क्या हो रहा है" कहकर लोग आपस में हँसा करते थे । और तो और हाल ही में एक नई फिल्म का तो यह गाना ही बन गया है । ऐसी अभिव्यक्तियाँ कभी-कभी एक प्रयुक्ति से निकलकर दूसरी प्रयुक्ति में भी उसी कुशलता से प्रयुक्त होती है । जैसे मिरिंडा के विज्ञापन में अमिताभ बच्चन के मुँह से विशिष्ट अदा में उच्चारित । 'जोर का झटका धीरे से लगे' वाक्य क्रिकेट के सीधे प्रसारण में विकेट के गिरने पर स्क्रीन पर यही वाक्य आ धमकता था । 'JABARDAST JHATAKA', 'JOR KA JHATAKA', 'ANOTHER JHATAKA', 'JOR KA JHATAKA DHEERE SE LAGE' आदि । यह भाव कॉमेन्टेटर दस मिनट तक बोलने पर भी व्यक्त नहीं कर पाता जिसे दूरदर्शन की स्क्रीन पर कैपिटल अक्षरो में लिखे कुछ शब्द ही व्यक्त कर पाते हैं ।

मौखिक भाषा जो काम नहीं कर सकती है वह काम कभी कभी अक्षर, चित्र, दृश्य आदि बड़ी ही खूबी से कर दिखाते हैं । दूरदर्शन से प्रसारित शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए विज्ञापन में एक विधवा माँ बड़ी

P/Th/1458

कठिनाइयों से अपने बच्चे को पाल पोषकर स्कूल में भेजती है स्कूल से लौटकर बच्चा अपना गृहकार्य करता है तब माँ उसके लिए खाना लाती है । बच्चा, स्लेट पर कुछ लिखने में मग्न होता है तो माँ चुपचाप जाकर उसे प्रेम से गले लगाना चाहती है परन्तु बच्चा माँ की 'हरकत' को भाँप लेता है और तुरंत ही पीछे मुड़कर अपनी स्लेट माँ को दिखाता है जिस पर एक 'शब्द' लिखा होता है - "माँ" । इस क्षण माँ और बेटे के मध्य जो भाव उत्पन्न हुआ उस भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द कोई काम नहीं कर सकते । यह काम केवल दृश्य ही कर पाया ।

इस प्रकार दूरदर्शन की भाषा में चयनित शब्दों से बने वाक्य, संगीत और दृश्य तीन महत्त्वपूर्ण अंग हैं । अनुवाद करते समय इन तथ्यों का ध्यान रखना होता है । दूरदर्शन के द्वारा हिन्दी भाषा तो जन-जन तक यशस्वी रूप से पहुँच गई है । साथ ही दूरदर्शन ने हिन्दी भाषा की सम्प्रेषणीयता का नया धरातल दिया है और हिन्दी भाषा की व्यापकता को नए आयाम दिए हैं । दूरदर्शन चूँकि दृश्य-शृव्य माध्यम है इसलिए इसमें मोटे तौर पर दृश्य और ध्वनि व्यवस्था का तालमेल होता है । अतः दूरदर्शन की भाषा का अनुवाद करते समय दृश्य के साथ-साथ भाषा का संकलन करना होता है । जैसे - किसी अन्य भाषा के धारावाहिक को हिन्दी में अनूदित करना हो तो उतने ही समय में प्रत्येक दृश्य के लिए अनुवाद करना होता है । नहीं तो दृश्य कहीं चल रहा होगा और संवाद कुछ और ही हो रहे होंगे । इसलिए अधिकांशतः अनुवाद वाक्य प्रति वाक्य होते हैं। दृश्य माध्यम होने के नाते दृश्य में नायक या नायिका का पात्र जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं उन शब्दों के उच्चारण को देखते हुए निकटतम पर्याय का चयन करना होता है । अर्थात पात्रों के होठों के हलनचलन के अनुरूप शब्द चयन करना होता है । जैसे **'Dady'** संबोधन का हिन्दी में अनुवाद करता हो तो 'डेडी' ही रखना अधिक उचित है या फिर दृश्य के प्रसंग, देश, काल आदि का भी ध्यान रखना होगा । यदि गुजराती से हिन्दी में हो और गुजराती संबोधन 'बापा' हो तो इसका हिन्दी में 'पापा' अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा । तात्पर्य है कि दूरदर्शन की भाषा का अनुवाद करते समय पात्रों के होठों के हलनचलन के अनुरूप अनुवाद करना होता है । यही आदर्श अनुवाद हो सकता है ।

अतः जनसंचार माध्यमों के विकास के साथ-साथ हिन्दी भाषा ने भी अपना एक विशिष्ट स्थान पा लिया है । आकाशवाणी, दूरदर्शन, फ़िल्मों, समाचार एजेन्सियों, चैनलों, ऑडियो, वीडियो केसेट्स आदि के क्षेत्रों में हिन्दी भाषा ने अपनी स्वतंत्र पहुँच बना ली है । इन माध्यमों में हिन्दी के विविध रूप और अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए हैं । लगभग सभी विधाओं का आदर्श रूप लिया जाए तो जनसंचार माध्यम में प्रयुक्त विधा का रूप अधिक आदर्श की ओर होगा । क्योंकि दृश्य माध्यमों में शब्दों को दृश्यों और ध्वनियों के वस्त्र पहनाकर प्रस्तुत किया जाता है जिससे शब्दों की सुंदरता निखरती है और भाषा बोधगम्य हो जाती है ।

आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्ति और अनुवाद :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । अपना जंगलीपन छोड़कर जब वह समाज बनाकर व्यवस्थित सुदृढ़ जीवन जीने लगा तो उसमें सबसे पहले विचारों को अन्य तक पहुँचाने की अति तीव्र मानसिकता का उद्भव हुआ । अतः वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए इंगित-इशारों का प्रयोग करने लगा और इन्हीं से भाषा बनी । भाषा का उद्भव स्थान तो ये इंगित इशारे ही हैं । इंगित इशारे ही विकसित हो-होकर रूढ़ अभिव्यक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लगे । इन अभिव्यक्तियों का विकसित रूप वाचिक अभिव्यक्ति है ।

आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्ति आज भी अति उपयोगी और अति प्रयुक्त माध्यम है । रंगमंच, शृव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दृश्य-शृव्य माध्यम आदि माध्यमों में इन अभिव्यक्तियों का भरपूर उपयोग होता है । विश्व में असंख्य बोली और भाषाएँ हैं लेकिन इन बोलियों-भाषाओं को अधिक रुचिकर, अधिक प्रभावपूर्ण, पूर्ण संप्रेषित करने के लिए आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्तियों का सहारा लिया जाता रहा है । भाषाएँ आज खूब विकसित हो चुकी होने पर भी आंगिक अभिव्यक्तियों और वाचिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से निखरती हैं और अधिक सँवरती हैं ।

मानव संस्कृति में आदिकाल से, यहाँ तक कि जब मनुष्य के पास व्यवस्थित समाज व्यवस्था भी नहीं थी, समाज रचना भी नहीं थी, तब से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य हिंसक प्राणियों तथा अन्य मनुष्यों को आंगिक अभिव्यक्ति द्वारा डरा-धमकाकर वश में करता था और अपने अस्तित्त्व के लिए संघर्ष करता था । धीरे-धीरे उसका अपना समाज बनने

लगा । भाषा के अस्तित्व से पहले कई युगों तक मनुष्य आंगिक अभिव्यक्तियों द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता रहा, जिसका इतिहास गवाह है । प्राचीन संस्कृति का इतिहास प्राचीन कलात्मक शिला-चित्र, पत्थर की मूर्तियों द्वारा ज्ञात होता है । ये सारे शिल्प केवल आंगिक अभिव्यक्ति ही हैं । इन आंगिक अभिव्यक्तियों द्वारा मनुष्य ने अपना इतिहास बनाया है । धातु की मोहरों पर, शिल्पों आदि के द्वारा लिखित भाषा से भी अधिक प्रभावपूर्ण अंगभंगिमाएँ होती थीं । आज भी किसी निश्चित विचारों को संप्रेषित करने के लिए प्रदर्शनियों में पुतले बनाकर उसमें अंगभंगिमाओं का खुलकर प्रयोग किया जाता है । फिल्मों नाटकों, नौटंकियों, नृत्य-नाटिकाओं, मूक अभिनय आदि में आंगिक अभिव्यक्ति ही प्रभावी होती है ।[1]

वास्तव में आंगिक अभिव्यक्ति अंगों के हाव-भाव एवं भाव-भंगिमाओं के रूप में आंतरिक भाव-विचारों की अभिव्यक्ति है । गहरी भावना एवं सजल संवेदना को प्रकट करने के लिए प्रायः शब्द एवं वाचा मूक एवं अक्षम प्रतीत होते हैं उस समय अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है । नवजात शिशु के साथ मातृत्त्व की वाणी अशाब्दिक होती है ।

"आंगिक अभिव्यक्ति जिसे आज बॉडी लैंग्वेज कहते हैं - इक्कीसवीं सदी की अनुपम खोज है । परन्तु आंगिक अभिव्यक्ति का विधिवत अध्ययन-अन्वेषण सन् 1960 के दशक से ही आरंभ हुआ । इसका प्रथम परिचय सन् 1970 में जूलियस फास्ट की देहभाषा पर प्रकाशित एक पुस्तक से हुआ । यह अध्ययन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा अशाब्दिक संप्रेषण का आरंभ था, परन्तु जहाँ तक देहभाषा की सूक्ष्म तकनीक का विषय है, बीसवीं सदी से पहले 1872 की सबसे प्रभावी व प्रसिद्ध पुस्तक चार्ल्स डार्विन कृत 'द एक्सप्रेशन ऑफ़ द इमोशन्स इन मैन एण्ड एनिमल्स' में उल्लेख मिलता है । इस पुस्तक में मुखमुद्रा की भावाभिव्यक्तियाँ और देहभाषा के आधुनिक अध्ययनों के बीज समाहित हैं ।"[2]

"आंगिक अभिव्यक्ति के अन्वेषण कर्ताओं ने अब तक दस लाख अशाब्दिक संकेतों (अभिव्यक्तियों) और लक्षणों की पहचान की है । अल्बर्ट मेहरेबियन ने अपने एक अध्ययन में स्पष्ट किया है कि किसी भी संदेश का

1. अनुवाद भारती अंक 18-19, जुलाई-दिसंबर, 1999 में प्रकाशित डॉ. अशोक वर्मा का लेख 'आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्ति और अनुवाद', पृ.5
2. अखण्ड ज्योति, अगस्त 2003 संपादक - डॉ. प्रणव पंडया, पृ.21

प्रभाव केवल सात प्रतिशत शाब्दिक होता है जबकि वाणी का प्रभाव 38 प्रतिशत होता है जबकि 55 प्रतिशत प्रभाव अशाब्दिक होता है । प्रोफेसर वर्ड ह्विसल ने भी इसकी पुष्टि की है । उनके प्रायोगिक निष्कर्ष से स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति एक दिन में शब्दों के माध्यम से लगभग दस से ग्यारह मिनट तक ही बोलता है । मेहरेबियन की तरह इनकी भी मान्यता है कि वार्तालाप में शाब्दिक पहलू 35 प्रतिशत से भी कम होता है और संप्रेषण का 65 प्रतिशत से भी अधिक भाग अशाब्दिक होता है । अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार शाब्दिक माध्यम का प्रयोग सामान्यतः सूचना संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, जबकि अशाब्दिक माध्यम का प्रयोग व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त के लिए किया जाता है ।"[1]

अनुवाद के संदर्भ में देखें तो मूलभूत आंगिक संप्रेषण विश्वभर में अधिकांशतः समान होता है खुशी और आनंद की अभिव्यक्ति मुस्कराहट के रूप में होती है । दुःख और क्रोध की अवस्था में भृकुटियाँ चढ़ जाती हैं, नाक के नथुने फूल जाते हैं । सिर को ऊपर से नीचे की ओर हिलाने का तात्पर्य 'हाँ' एवं सकारात्मक होता है । लगभग सभी संस्कृतियों में सिर को एक ओर से दूसरी ओर हिलाने का अर्थ 'नहीं' एवं नकारात्मक होता है । चुल्लू बनाकर होठ से लगाना अर्थात पानी पीने की अभिव्यक्ति, पाँचों अँगुलियों को मिलाकर होठों से लगाना अर्थात् खाना खाने की अभिव्यक्ति, तालियाँ पीटना अर्थात खुशी व्यक्त करना, शाबाशी देना, दाँत पीसना अर्थात् गुस्से में होने की अभिव्यक्ति, किसी के गालों की चूमना अर्थात् प्रेम की अभिव्यक्ति, मोंहें चढ़ाना (एक बार चढ़ाकर पुनः मूल स्थिति में लाना) अर्थात् स्वीकृति देने की अभिव्यक्ति, हाँ कहने की अभिव्यक्ति, घुटनों के बीच सिर रखकर बैठना अर्थात् शोक प्रकट करना, सिर पर हाथ रखकर बैठना अर्थात् दुःखी होने की अभिव्यक्ति चुल्लू बनाकर दोनों हाथों को सामने फैलाना अर्थात् किसी के समक्ष अपनी दीनता प्रदर्शित करना, छाती फुलाकर थपथपाना अर्थात् अहंकार प्रदर्शित करना आदि अनन्त अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका लगभग सभी भाषा-संस्कृतियों में समान अर्थ होता है । परन्तु ऐसी भी असंख्य आंगिक अभिव्यक्तियाँ हैं कि जिनमें भाषा के संदर्भ में भिन्न-भिन्न अर्थ प्रदर्शित होते हैं । यथा - अँगूठी मुद्रा (अँगूठा ऊपर की ओर रखकर मुट्ठी

1. अखण्ड ज्योति, अगस्त 2003 संपादक - डॉ. प्रणव पंडया, पृ.21

बंद करना), अँगूठा दिखाना और 'V' (एक हाथ की प्रथम दो अँगुलियों से V आकार बनाकर) संकेत के सांस्कृतिक अर्थों में अंतर है । अँगूठी मुद्रा जिसे 'OK' मुद्रा भी कहते हैं - उन्नीसवीं सदी की शुरूआत में अमेरिका में लोकप्रिय हुई थी । इस अभिव्यक्ति का अर्थ सभी अंग्रेजी भाषी देशों में एक समान है । यूरोप और एशिया में यह बड़ी तीव्रता से प्रचलित हुआ है । परन्तु फ्रांस में इसका अर्थ 'शून्य' या 'कुछ नहीं' है । जापानी भाषा में इसका आशय 'धन' से है, जबकि कुछ भूमध्यसागरीय देशों में यह एक 'छेद' का संकेत है । न्यूज़ीलैण्ड, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में अँगूठे की मुद्रा का प्रयोग सामान्यत: लिफ़्ट लेने के लिए किया जाता है । जब अँगूठे को कोण से ऊपर की ओर झटका दिया जाए तो यह एक अपमान का संकेत बन जाता है । ग्रीस में इसका मुख्य अर्थ है "ठूँस लो" । इटली में अँगुलियों पर गिनते समय इसे एक के अर्थ में लेते हैं । अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में अँगूठा पाँच का प्रतिनिधित्व करता है । अँगूठे का प्रयोग दूसरी मुद्राओं के साथ शक्ति और श्रेष्ठता के संकेत के रूप में किया जाता है । अँगूठे के तुरंत बाद की पहली और दूसरी अँगुलियों को 'V' आकार देने से जो संकेत संप्रेषित होता है उसका ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूज़ीलैण्ड में अर्थ होता है - 'आपके अन्दर' । दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल ने इस 'V' को विजय चिह्न के रूप में लोकप्रिय बनाया था । जिसका आज भी भारत में भी इसी संदर्भ में प्रयोग होता है ।

"अन्य भाषा के समान आंगिक अभिव्यक्ति में भी शब्द, वाक्य और विराम चिह्न होते हैं । हर मुद्रा एकाकी शब्द के सदृश्य होती है और उसके कई अर्थ होते हैं । मुद्राएँ 'वाक्यों' में भी युक्त होती हैं और व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं एवं दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं । इतना ही नहीं ये मुद्राएँ - आंगिक अभिव्यक्तियाँ शब्द, वाक्यों तक ही सीमित नहीं रहतीं, कभी-कभी ये अत्यंत गुह्यतम शास्त्र को भी समझाती हैं । गाँधीजी के आदर्श 'तीन बन्दर' : कितना गहन तत्त्वज्ञान छिपा है बन्दरों की इन अभिव्यक्तियों में । चेहरे पर हाथ रखना, जिसमें तर्जनी अँगुली गाल के ऊपर की ओर संकेत करती है और दूसरी अँगुली मुँह को ढँक लेती है तथा अँगूठा ठुड्डी को सहारा देता है यह आलोचना की मुख्य मुद्रा है ।"[1]

इन आंगिक अभिव्यक्तियों का अनुवाद नहीं हो सकता क्योंकि ये

1. अखण्ड ज्योति, अगस्त 2003 संपादक - डॉ. प्रणव पंडया, पृ.22

अंगो द्वारा व्यक्त की हुई भाव-भंगिमाएँ हैं । जबकि अनुवाद मानव मुख से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनियाँ या उन ध्वनियों को लिपिबद्ध किया हो, उसी का ही संभव है । ये अभिव्यक्तियाँ पुनः केवल अंग-उपांगों द्वारा ही व्यक्त की जा सकती हैं । अतः अनुवाद में इन्हें मूलतः (कुछ अपवादों को छोड़कर) उतारना होता है । यह भी ध्यान रखना होता है कि मूल अर्थ संप्रेषित हो रहा है या नहीं । विभिन्न क्षेत्रों की अपनी निजी आंगिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं उन्हें अर्थ सहित अनुवाद में उतारना होता है । यथा - फ़िल्मनृत्य, नृत्य-नाटिका, नौटंकी, सामानय बोल चाल, संगीत, खेलकूद, योग आदि की अपनी विशेष आंगिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जिनके अनुवाद की नहीं बल्कि अर्थ संप्रेषण की आवश्यकता होती है । जैसे - नृत्य नाटिका में मानव धर्म की दैनिक़ सहज क्रियाओं की आंगिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं जिसमें प्रणाम, स्वागत, किसी को लुभाने, मनाने, रूठने, खुश होने, रोने, गुस्सा करने, प्रेम करने आदि की आंगिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जिन्हें केवल यथावत अर्थ संप्रेषण के लिए छोड़ दिया जाता है । योग की आंगिक अभिव्यक्तियाँ भी मानसिक एवं शारीरिक दुरस्ती के लिए ही अभिव्यक्त होती हैं । चार रास्ते पर खड़ा ट्राफिक सिग्नल देनेवाला पुलिस कितनी शक्तिशाली आंगिक अभिव्यक्तियाँ प्रदर्शित करता है । उसी के इशारे पर सारा शहर 'नाचता' है । खेलकूद की भी अपनी विशिष्ट आंगिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं; जैसे क्रिकेट में एम्पायर आऊट, लेग बाय, वाइड बोल, नो बॉल, स्टॉप, चार रन, छह रन, तीसरे एम्पायर का प्रतिभाव जानने के लिए, नई गेंद मँगवाने के लिए, लंच ब्रेक, जल-पान आदि के लिए निश्चित आंगिक अभिव्यक्तियों के सहारे अपना निर्णय प्रदर्शित करता है । इन अभिव्यक्तियों को अनुवाद में यथावत उतारना होता है । प्रत्येक भाषाभाषी इन अभिव्यक्तियों को आसानी से समझ सकता है ।

आंगिक अभिव्यक्ति अपने आपमें सर्वथा परिपूर्ण नहीं है । आंगिक अभिव्यक्ति हमेशा पूर्णतः संप्रेषित हो - यह आवश्यक नहीं है । आंगिक अभिव्यक्ति की इस कमी को दूर करने हेतु मनुष्य ने अपनी वाचा का उपयोग करना शुरु किया । वाचा के द्वारा अभिव्यक्त विचार वाचिक अभिव्यक्ति है । इसी वाचिक अभिव्यक्ति का विकसित रूप भाषा है । विभिन्न विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों में कभी-कभी ध्वनिगत परिवर्तन करके, तान-अनुतान, बल देकर प्रस्तुत किया जाता है । यह प्रस्तुतीकरण वाचिक

अभिव्यक्ति ही है । वाचिक अभियक्ति के अंतर्गत मौखिक भाषा को समाहित किया जा सकता है । वाचिक अभिव्यक्ति में मुख से बोली जानेवाली भाषा के साथ-साथ वक्ता-श्रोता की भूमिकाएँ भी जुड़ी हुई हैं । वक्ता के हाव-भाव श्रोता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं; लेकिन कभी-कभी ये सुविधाएँ श्रोता को उपलब्ध नहीं होती । वाचिक अभिव्यक्तियाँ सरलता एवं स्वाभाविकता से परिपूर्ण होती हैं । इन अभिव्यक्तियों में शैली की प्रधानता प्रमुख होती है । अर्थात् वाचिक अभिव्यक्ति में शैली महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है; यथा - 'अच्छा' की अनेक अर्थपूर्ण वाचिक अभियक्तियाँ हो सकती हैं -

'अच्छा' - सुंदर के संदर्भ में,
- डाँटने के संदर्भ में,
- जानकारी प्राप्त हो जाने पर,
- व्यंग्य दर्शाने के संदर्भ में,
- अलविदा कहने के संदर्भ में,
- किसी को टोकने के संदर्भ में

'हाँ' - सकारात्मक विधान के रूप में,
- व्यंग्यसूचक (हाँ... तो यह बात है !),
- कहने के संदर्भ में (हाँ जी कहिए...)
- सकारात्मक प्रत्युत्तर के रूप मे ("क्या सिनेमा देखने चलोगे ?" "हाँ" अर्थात् सिनेमा देखने चलूँगा ।)

'ठीक' - अच्छे के संदर्भ में,
- अच्छा किया के संदर्भ में,
- शाबाशी देने के संदर्भ में,
- संतोष मनाने के रूप में, (चलो ठीक है)

इस प्रकार अनेक अभिव्यक्तियाँ हैं जो वाचिक अभिव्यक्ति के रूप में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं । विचारों को अधिक स्पष्ट, प्रभावपूर्ण और कुशल रूप में संप्रेषित करने के लिए वाचिक अभिव्यक्ति को वक्ता अपनाता है। इस तरह की अभिव्यक्तियाँ खास तौर से भाषण, प्रवचन, नाटक, दृश्य-श्रृव्य माध्यमों आदि में अति उपयोगी और महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं ।

अनुवाद के संदर्भ में कहें तो वाचिक अभिव्यक्तियो की आवश्यकता के अनुसार अनुवाद हुआ है और हो रहा है । ये अभिव्यक्तियाँ मनुष्य के सहज स्वभाव से ही स्फुरित हुई हैं, पनपी हैं, अतएव हर भाषा-भाषी के लिए ये वाचिक अभिव्यक्तियाँ समान होती हैं क्योंकि इन अभिव्यक्तियों के साथ मनुष्य का भाव जुड़ा हुआ है । प्रत्येक मनुष्य में कम-अधिक मात्रा में भाव तो होते ही हैं । चूँकि वाचिक अभिव्यक्तियाँ भाषा से जुड़ी हुई होती हैं: मौखिक भाषा से जुड़ी हुई होती हैं, अतः इन अभिव्यक्तियों को अनुवाद में उतारा जा सकता है । फिर भी, वाचिक अभिव्यक्तियाँ दोनों भाषाओं की लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की अलग-अलग हो सकती हैं । अतएव अनुवादक को दोनों भाषाओं की वाचिक अभिव्यक्तियों से अवगत होना अति आवश्यक है; जैसे - भारतीय संस्कृति में प्रणाम, नमस्कार, राम-राम, जय श्रीकृष्ण, जय माताजी, जय हिन्द, जय रामजी की, आभार, धन्यवाद, आना, शुक्रिया, आदाब अर्ज, कैसे हैं आदि वाचिक अभिव्यक्तियाँ पाश्चात्य संस्कृति की किसी भाषा में पूर्णतः संप्रेषित नहीं भी हो सकतीं । इसलिए अनुवाद करते समय इन वाचिक अभिव्यक्तियों को लक्ष्य भाषा में ढूँढना भी होता है और यदि न मिलें तो अनुरूप वाचिक अभिव्यक्तियों को अपनाया जाता है और योग्य भाव संप्रेषित हो इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं ।

इस प्रकार भाषा को आंगिक एवं वाचिक अभिव्यक्तियाँ ही निखारती हैं, सँवारती हैं । भाषा को अधिक प्रभावपूर्ण एवं आकर्षक बनाने के लिए इन अभिव्यक्तियों का भरपूर प्रयोग किया जाता है । आंगिक अभिव्यक्तियों की अनुवाद में नहीं उतारा जा सकता क्योंकि ये मौखिक भाषा रहित हैं । अनुवाद मौखिक भाषा (जिसे लिखा-पढ़ा जा सके) का ही हो सकता है । वाचिक अभिव्यक्ति को लक्ष्य भाषा में लक्ष्य भाषा की प्रकृति-संस्कृति के अनुरूप अनुवाद में ढाला जा सकता है ।